मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई 2010—श्रावण 8, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2010

क्र. ई-1-236-2010-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 जून 2010 द्वारा श्री अनिल श्रीवास्तव, भाप्रसे (1985), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम को [श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे (1994), प्रबंध संचालक, उद्यानिकी-सह-मिशन संचालक, उद्यानिकी तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम एवं मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की अवकाशं अवधि] में अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम एवं मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया था, उक्त आदेश के अनुक्रम में श्री अनिल श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम को अब आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम एवं मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे (1994), संचालक, उद्यानिकी-सह-मिशन संचालक, उद्यानिकी तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम एवं मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम एवं मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2010

क्र. ई-5-462-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 22 से 24 जुलाई 2010 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2010

क्र. ई-5-501-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री बी. आर. नायडू, आयएएस, आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश, शासन स्कूल शिक्षा विभाग के दिनांक 6 से 31 जुलाई 2010 तक छब्बीस दिन तक एक्स इंडिया अर्जित अवकाश पर हैं.

(2) श्री नायडू की उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयएएस, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-559-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष उपाध्याय, आयएएस, आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 7 से 12 जुलाई 2010 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26/28 जून 2010

क्र. एफ नं. 1-11-2010-बावन (1).—राज्य शासन मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित "चर्म शिवण केन्द्र, इन्दौर" एवं "चर्म शिवण केन्द्र, ग्वालियर" के नाम परिवर्तित कर क्रमशः "संत रविदास चर्म शिल्प विकास एवं अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर" एवं "संत रविदास चर्म शिल्प विकास एवं अनुसंधान केन्द्र, ग्वालियर" करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. पिड़िहा, उपसचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2010

क्र. एफ 11-5-2006-उन्तीस-2.—मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स-81 (ए) (सी) एवं (डी) के अनुसरण में राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री अरूण कुमार भट्ट तत्कालीन आयुक्त सह पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल के स्थान पर श्री अरूण पाण्डेय, आयुक्त-सह पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक मण्डल में संचालक मनोनीत करता है.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2010

क्र. एफ 5-35-2009-2-उन्तीस.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, चयन समिति की सिफारिश पर डॉ. श्रीमती मुक्ता जोशी पत्नी श्री स्नेहल जोशी को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, मण्डला में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से सदस्य के रूप में नियुक्त करता है.

(2) जिला उपभोक्ता फोरम की सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगी. उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहती हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ललित दाहिमा, उपसचिव.

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2010

क्र. एफ-3-5-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 5 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित-केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	सागर संभाग	
1	श्री मुकुल कुमार जैन	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
2	श्री राम नारायण अहिरवार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
3	श्री सुरेश कुमार साकेत	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
4	सुश्री बबीता पटेल	वाणिज्यिक कर अधिकारी
	ग्वालियर संभाग	
5	श्री निर्मल शाक्य	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
6	श्री राघवेन्द्र सिंह रावत	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
7	कु. पारूल अग्रवाल	वाणिज्यिक कर अधिकारी
	इंदौर संभाग	
8	श्री आर. मंडोरिया	वाणिज्यिक कर अधिकारी
	निम्नास्तर	
	भोपाल संभाग	
1	कु. अनीता सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
2	कु. ऋतु रावत	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
3	कु. सरिता भगत	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
4	श्रीमती प्रियंका सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
5	कु. छाया गवली	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
6	श्री जितेन्द्र सिंह चावड़ा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
7	कु. नेहा बहोरे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
8	श्री संदीप श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
9	कु. स्वर्णा सोनकर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
	ग्वालियर संभाग	
10	श्री रोशन सिंह बाथम	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
11	कु. सुमन बिसोरिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
12	श्री विवेक शुक्ला	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
13	श्री विजय सिंह नागर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
14	कु. दिव्या अवस्थी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
15	कु. स्वाती जैन	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
16	कु. माला शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
17	श्री विक्रमजीत सिंह कंग	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
18	कु. किरण शाक्य	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
19	कु. पूनम श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
	जबलपुर संभाग	
20	कु. चित्रा राय	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
21	श्रीमती संगीता गुप्ता	वाणिज्यिक कर अधिकारी
22	कु. नीधि जैन	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
23	श्रीमती रीनि शुक्ला	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
24	श्री बृजराज सिंह धुर्वे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
25	श्री मनीष कुमार जैन	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
26	कु. दीप्ति बनवासी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
27	श्री अंकुर मेश्राम	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
28	कु. विनीता जैन	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
29	श्री विजय कुमार पाण्डेय	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
30	कु. श्वेता शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
31	श्री नरेश कुमार कोरी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
32	श्री जयशिव प्रसाद सूर्यवंशी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
33	श्री कृष्ण पाल सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
34	श्री गोपीनाथ शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
35	श्री अन्नीलाल उईके	वाणिज्यिक कर अधिकारी
	इन्दौर संभाग	
36	श्री संदीप नर्रे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
37	श्री एकेन्द्र कुमार बन्सोड़	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
38	श्री जय कुमार वर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
39	श्री योगेन्द्र खेड़ेकर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
40	श्री मोहन सिंह चौहान	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
41	श्री शिवमोहन सिंह बागरी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
42	श्री संजय कुमार खाड़े	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
43	श्री मानसिंह बघेल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
44	श्री इन्द्रपाल सिंह ठाकुर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
45	कु. किरण मालवीय	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
46	कु. चम्पा बड़ोले	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
47	श्री मोहन सिंह जबरा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
48	श्री संजय उज्जैनी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
49	श्री राजेश कुमार पाण्डे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
50	श्री सूर्यप्रकाश सिंह बघेल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
51	श्री गुलाब सिंह मीना	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
52	श्री रमेश चन्द्र अहोदे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
53	श्री विकास कुमार अग्रवाल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
54	कु. मनीषा कुरील	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
55	कु. निर्मला चौहान	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
56	कु. राखी सोलंकी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
57	कु. रानू व्यास	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
58	कु. अंजली सिंह ठाकुर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

क्र. एफ-3-16-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	उज्जैन संभाग	
1	श्रीमती शोभना चौहान	शिक्षक
2	श्री राकेश मोहन दुबे	मेट्रन
3	श्री मुक्ता अवस्थी	हाउस मास्टर
	सागर संभाग	
4	श्री अकबर खान	हाउस मास्टर
	जबलपुर संभाग	
5	श्री शशिकान्त ठाकुर	मेट्रन
6	श्री अरूण कुमार बढोलिया	मेट्रन
7	श्री अनुज कुमार शर्मा	हाउस मास्टर
	इन्दौर संभाग	
8	श्री ऋषि डोगरे	हाउस मास्टर
	निम्नस्तर	
	उज्जैन संभाग	
1	श्रीमती पारू मालवीय	हाउस मास्टर
	इन्दौर संभाग	
2	श्रीमती कल्पना पंवार	मेट्रन
3	श्रीमती सुजाता शुक्ला	मेट्रन
4	श्री उमेश सिंह ठाकुर	मेट्रन
5	श्री प्रदीप बागड़े	शिक्षक
	रीवा संभाग	
6	श्री हमीद खान	हाउस मास्टर
	भोपाल संभाग	
7	श्री ऋषि दुबे	मेट्रन
8	श्री सुकेशी तिर्की	हाउस मास्टर

क्र. एफ -3-23-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया, विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	सागर संभाग	
1	श्री सुरेश कुमार साकेत	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
	ग्वालियर	
2	श्री नरेन्द्र सिंह चौहान	वाणिज्यिक कर अधिकारी
	निम्नस्तर	
	सागर	
1	श्री मुकुल कुमार जैन	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
2	श्री राम नारायण अहिरवार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
	भोपाल संभाग	
3	कु. स्वर्णा सोनकर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
4	कु. अर्चना परस्ते	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
5	श्रीमती निलिमा तिवारी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
6	कु. सरिता भगत	वाणिज्यिक कर अधिकारी
7	श्रीमती बबीता इन्दु मिश्रा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
8	कु. छाया गवली	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
9	कु. अनीता सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
10	श्री जीतेन्द्र सिंह चावड़ा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
11	श्री संदीप श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
12	श्री आशीष कुमारी दीवान	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
13	सुश्री निलम चौहान	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
14	सुश्री ऋतु रावत	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
15	डॉ. विभा ठाकुर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
16	कु. नेहा बहोरे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
	ग्वालियर संभाग	
17	श्री पारूल अग्रवाल	वाणिज्यिक कर अधिकारी
18	कु. सुमन बिसोरिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
19	कु. जमा शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
20	कु. दीपा नरवरिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
21	श्री विजय सिंह नागर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
22	कु. किरण शाक्य	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
23	श्री नरेन्द्र सिंह चौहान	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
	जबलपुर संभाग	
24	कु. निधी जैन	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
25	कु. सरिता नायक	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
26	श्री अंकुर मेश्राम	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
27	सुश्री विनीता वैस	वाणिज्यिक कर अधिकारी
28	श्री विजय कुमार पाण्डेय	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
29	कु. श्वेता शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
30	श्री मनोज कुमार ठाकुर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
31	श्रीमती रंजना जैन	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
	इन्दौर संभाग	
32	श्री संदीप नर्रे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
33	श्री एकेन्द्र कुमार बन्सोड	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
34	श्री जय कुमार वर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
35	श्री योगेन्द्र खेड़ेकर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
36	कु. किरण मालवीय	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
37	श्री संजय उज्जैनी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
38	श्री राजेश कुमार पाण्डेय	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
39	श्री सूर्यप्रकाश सिंह बघेल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
40	श्री एच. सी. गहलोत	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
41	श्री रमेशचन्द्र अहोदे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
42	श्री विकास कुमार अग्रवाल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
43	श्री निर्मल चौहान	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
44	कु. राखी सोलंकी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
45	कु. रानू व्यास	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
46	कु. अंजली सिंह ठाकुर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
47	सुश्री दिपीका रामटेके	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
48	श्री नवीन कुमार गोस्वामी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक.

क्र. एफ 3-25-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अप्रैल 2010 को प्रश्न पत्र पुलिस शाखा (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	जबलपुर संभाग	
1	श्री ललित शाक्यवार	सहायक पुलिस अधीक्षक
2	श्री मनजीत सिंह चावला	उप पुलिस अधीक्षक
3	श्रीमती अंजुलता पटले	उप पुलिस अधीक्षक
4	श्री जयराज कुबेर	उप पुलिस अधीक्षक
5	डॉ. शिवेश सिंह बघेल	उप पुलिस अधीक्षक
	उज्जैन संभाग	
6	कु. चैत्रा एन.	अति. पुलिस अधीक्षक
	भोपाल संभाग	
7	श्रीमती ऋचा राय	उप पुलिस अधीक्षक
8	श्रीमती प्रतिभा त्रिपाठी	उप पुलिस अधीक्षक
9	सुश्री पार्वती केशव सोलंकी	उप पुलिस अधीक्षक
	इन्दौर संभाग	
10	श्री सियास ए	अति. पुलिस अधीक्षक
11	श्री धर्मवीर मंगोदिया	उप पुलिस अधीक्षक
	रीवा संभाग	
12	श्री विक्रम सिंह कुशवाह	उप पुलिस अधीक्षक
	सागर संभाग	
13	श्री सुनील कुमार शिवहरे	उप पुलिस अधीक्षक
	ग्वालियर संभाग	
14	कु. रश्मि अग्रवाल	उप पुलिस अधीक्षक
15	श्री विक्रम सिंह	उप पुलिस अधीक्षक
16	कु. आरती महाजन	उप पुलिस अधीक्षक

क्र. एफ 3-37-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 अप्रैल 2010 को प्रश्न पत्र तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	होशंगाबाद संभाग	
1	श्री भूपेन्द्र सिंह अलावा	सहायक वन संरक्षक
2	श्री सुरेशचन्द्र मिश्रा	सहायक वन संरक्षक
	रीवा संभाग	
3	श्री राजेश्वर प्रसाद मिश्रा	सहायक वन संरक्षक
	जबलपुर संभाग	
4	श्री रजनीश कुमार पाण्डे	सहायक वन संरक्षक
5	श्री अरूण प्रताप सिंह	सहायक वन संरक्षक
6	श्री अरविन्द्र कुमार शर्मा	वन क्षेत्रपाल
7	श्री नरेश कुमार मिश्र	वन क्षेत्रपाल
9	श्री थानसिंह कुमरे	सहायक वन संरक्षक
10	श्रीमती जानकी यादव	सहायक वन संरक्षक
11	श्री गोविन्द राम चौहान	सहायक वन संरक्षक
	उज्जैन संभाग	
12	श्री हिम्मत सिंह खिंची	सहायक वन संरक्षक

(1)	(2)	(3)
	सागर संभाग	
13	श्री सी. एम. शर्मा	सहायक वन संरक्षक
14	सुश्री प्रतीभा पाठक	सहायक वन संरक्षक
	इन्दौर संभाग	
15	श्री हरिश कुमार दीक्षित	सहायक वन संरक्षक
16	श्री राकेश किशोर सक्सेना	सहायक वन संरक्षक
17	श्री राहुल बेन्जामिन	वन क्षेत्रपाल
18	श्री एस. के. अहोदे	वन क्षेत्रपाल
19	श्री जे. के. जैन	वन क्षेत्रपाल
20	श्री सुमुख जोशी	सहायक वन संरक्षक
21	श्री रमेश चन्द्र वर्मा	सहायक वन संरक्षक
22	श्री एम. अजनार	वन क्षेत्रपाल
23	श्री प्यार सिंह ठाकुर	वन क्षेत्रपाल
24	श्री गोकुल प्रसाद सोनी	सहायक वन संरक्षक
25	श्री मगनसिंह ठाकुर	सहायक वन संरक्षक
26	श्री रामसुशील श्रीवास्तव	सहायक वन संरक्षक
27	श्री मोहनलाल नांदले	सहायक वन संरक्षक
28	श्री रामकुमार गुप्ता	वन क्षेत्रपाल
29	श्री राजाराम पाल	सहायक वन संरक्षक
30	श्री इन्दूसिंह गड़रिया	सहायक वन संरक्षक
31	श्री रामचन्द्र डामोर	सहायक वन संरक्षक
32	श्री आर. सी. चौबे	सहायक वन संरक्षक
33	श्री रत्नदीप खरे	वन क्षेत्रपाल
34	श्री भूपेश कुमार शुक्ला	सहायक वन संरक्षक
	भोपाल संभाग	
35	श्री आर. के. गुप्ता	सहायक वन संरक्षक
36	श्री सत्यनारायण	सहायक वन संरक्षक
37	श्री एस. एल. साकेत	सहायक वन संरक्षक
38	श्री एल. एन. नाथ	सहायक वन संरक्षक
39	श्री डी. आर. वर्मा	सहायक वन संरक्षक
40	श्री आर. एन. साहू	वन क्षेत्रपाल
41	श्री एम. डी. सिंह राजपूत	सहायक वन संरक्षक
42	श्री ओंकार सिंह मर्सकोले	सहायक वन संरक्षक
43	श्री उमाकान्त पाण्डे	सहायक वन संरक्षक
44	श्री आर. एस. भदौरिया	सहायक वन संरक्षक
45	श्री मनोहर सिंह आरसिया	सहायक वन संरक्षक
46	श्री नरेन्द्र देव शर्मा	सहायक वन संरक्षक
47	श्री व्ही. एस. पिल्लई	सहायक वन संरक्षक
48	श्री आर. एस. तोमर	सहायक वन संरक्षक
49	श्री विनोद कुमार गोस्वामी	वन क्षेत्रपाल
50	श्री ओ. पी. श्रीवास्तव	सहायक वन संरक्षक
51	श्री आर. एल. दधीच	सहायक वन संरक्षक
52	श्री वी. आर. पाठक	वन क्षेत्रपाल
53	श्री दिलीप सिंह चौहान	वन क्षेत्रपाल
54	श्री व्ही. के. सक्सेना	सहायक वन संरक्षक
55	श्री आर. के. सक्सेना	सहायक वन संरक्षक
56	श्री आर. एल. नरवरिया	सहायक वन संरक्षक

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2010

क्र. एफ 3-33-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 9 अप्रैल 2010 को प्रश्न पत्र लेखा-प्रथम (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	रीवा संभाग	
1	श्री जवाहरलाल कास्दे	सहायक संचालक, कृषि
2	श्री संतोष कुमार मौर्य	सहायक संचालक, कृषि
3	श्री दिनेश मण्डलोई	सहायक संचालक, कृषि
4	श्री मानसिंह ठाकुर	सहायक संचालक, कृषि
	जबलपुर संभाग	
5	श्री रविकान्त सिंह	सहायक संचालक, कृषि
6	श्री मोरिस नाथ	
	इन्दौर संभाग	
7	श्री धर्मसिंह चौहान	वरि. उद्यान विकास अधि.
8	श्री लालसिंह चारल	सहायक संचालक, कृषि
	भोपाल संभाग	
9	श्री रतनसिंह कटारा	सहायक संचालक, कृषि
	निम्नस्तर	
	रीवा संभाग	
1	श्री अरूण कुमार मिश्रा	सहायक संचालक, कृषि
	उज्जैन संभाग	
2	श्री केशव सिंह गोयल	सहायक संचालक, कृषि
3	श्री हजारीलाल निमोरिया	वरि. उद्यान विकास अधि.
	इन्दौर संभाग	
4	श्री मोहन सिंह मुजाल्दा	वरि. उद्यान विकास अधि.
5	श्री मनोज चौहान	सहायक संचालक, कृषि
	भोपाल संभाग	
6	श्री अशीष कुमार कनेश	सहायक संचालक, कृषि

क्र. एफ 3-35-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 अप्रैल 2010 को प्रश्न पत्र लेखा-द्वितीय (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	सागर संभाग	
1	श्री भूपत सिंह गौड़	वन क्षेत्रपाल

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2010

क्र. एफ 3-38-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 अप्रैल 2010 को प्रश्न पत्र लेखा-द्वितीय (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	इंदौर संभाग	
1	श्री मोहन सिंह मुजाल्दा	वरि. उद्यान विकास अधि.
2	श्री लालसिंह चारल	सहायक संचालक, कृषि
	रीवा संभाग	
3	श्रीमती भगवती चौहान	वरि. उद्यान विकास अधि.
4	श्री संतोष कुमार मौर्य	सहायक संचालक, कृषि
5	श्री दिनेश मण्डलोई	सहायक संचालक, कृषि
6	श्री मानसिंह ठाकुर	सहायक संचालक, कृषि
	जबलपुर संभाग	
7	श्री रविकान्त सिंह	सहायक संचालक, कृषि
8	श्री मोरिस नाथ	सहायक संचालक, कृषि
	निम्नस्तर	
	इंदौर संभाग	
1	श्री धर्मसिंह चौहान	वरि. उद्यान विकास अधि.
2	श्री मनोज चौहान	सहायक कृषि यंत्री
	रीवा संभाग	
3	श्री अनिल कुमार मिश्र	सहायक संचालक, कृषि
(1)	(2)	(3)
	उज्जैन संभाग	
4	श्री केशव सिंह गोयल	सहायक संचालक, कृषि
5	श्री हजारीलाल निमोरिया	वरि. उद्यान विकास अधि.
	भोपाल संभाग	
6	श्री रतन सिंह कटारा	सहायक संचालक, कृषि
7	श्री अशीष कुमार कनेश	सहायक संचालक, कृषि

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2010

क्र. एफ 3-14-2009-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा सभी विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 मार्च 2009 को प्रश्न-पत्र हिन्दी विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	इंदौर संभाग	
1	टी. अमोंगला अय्यर	अति. पुलिस अधीक्षक

क्र. एफ 3-53-2010-दोए-3.—राज्य शासन द्वारा खनिज संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अप्रैल 2010 को प्रश्न-पत्र लेखा-पुस्तकों सहित विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	जबलपुर संभाग	
1	श्री रविन्द्र परमार	सहायक भौमिकी विद्
	निम्नस्तर	
	जबलपुर संभाग	
1	श्री मनु डामोर	सहायक भौमिकी विद्
	भोपाल संभाग	
2	श्रीमती प्रीति ठाकुर	सहायक भौमिकी विद्

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2010

क्र. एफ 3-37-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो

दिनांक 8 अप्रैल 2010 को प्रश्न पत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	रीवा संभाग	
1	श्री विक्रम सिंह कुशवाह	उप पुलिस अधीक्षक
	इंदौर संभाग	
2	श्री शियास ए.	अति. पुलिस अधीक्षक
3	श्री धर्मवीर मांगोदिया	उप पुलिस अधीक्षक

क्र. एफ 3-40-2010-दोए(3).—राज्य शासन द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 अप्रैल 2010 को प्रश्न-पत्र हिन्दी विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	जबलपुर संभाग	
1	श्री प्रकाश सिंह चौहान	डिप्टी कलेक्टर
	इन्दौर संभाग	
2	श्री शियास ए.	ए. एस. पी.
3	श्री जे. देवप्रसाद	आई. एफ. एस.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2010

क्र. एफ 1(ए) 17-82-ब-2-दो.—श्री पी. एल. पाण्डेय, भापुसे, महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवायें म. प्र. भोपाल को Phase-V Training of Mid Carreer में भाग लेने के उपरान्त लंदन (यू. के.) में प्रवास हेतु दिनांक 1 अगस्त 2010 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ सहित दिनांक 2 से 5 अगस्त 2010 तक कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India) निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है :—

(1) विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.

(2) विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

(3) विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. एल. पाण्डेय, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवायें मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री पी. एल. पाण्डेय, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी.एल. पाण्डेय, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

क्र. एफ 1(ए) 18-82-ब-2-दो.—श्री सुरेन्द्र सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विसबल, पु.मु. भोपाल को Phase-V Training of Mid Carreer में भाग लेने के उपरान्त लंदन (यू. के.) में प्रवास हेतु दिनांक 01 अगस्त 2010 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ सहित दिनांक 02 से 05 अगस्त 2010 तक कुल 04 दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India) निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है:—

(1) विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.

(2) विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

(3) विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

2. श्री सुरेन्द्र सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में श्री विजय यादव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, पु.मु. भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विसबल, पु.मु. भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

3. श्री सुरेन्द्र सिंह, भापुसे, द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विसबल, पु.मु. भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विजय यादव, भापुसे, उक्त पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

4. अवकाश से लौटने पर, श्री सुरेन्द्र सिंह भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विसबल, पु.मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

5. अवकाशकाल में श्री सुरेन्द्र सिंह भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

क्र. एफ 1(ए)217-91-ब-2-दो.—श्री डी.एस. सेंगर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक विसबल, इंदौर को दिनांक 19 से 31 जुलाई 2010 तक, कुल तेरह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 17, 18 जुलाई 2010 एवं 01 अगस्त 2010 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ,के साथ स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री डी.एस. सेंगर, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2006-09 के द्वितीय भाग में गृह नगर यात्रा की न उपभोग की गई अवकाश यात्रा के एवज में पूर्वोत्तर राज्यों की परिवर्तित अवकाश यात्रा सुविधा के रूप में ''जम्मू-अमरनाथ'' जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ यात्रा की अनुमति दी जाती है:—

(1) श्री डी. एस. सेंगर, —स्वयं

(2) श्रीमती रीता सेंगर —पत्नी

3. श्री डी.एस. सेंगर, भापुसे की उक्त अवकाश अवधि में इन्हें सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन श्री आर.पी.श्रीवास्तव, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, इंदौर द्वारा अपने कार्यों के साथ-साथ किया जायेगा.

4. उक्त यात्रा हेतु स्वीकृत अवकाश का उपभोग करने के फलस्वरूप इनके अर्जित अवकाश खाते से 13 दिवस का अर्जित अवकाश घटाया जावेगा.

5. उक्त यात्रा हेतु श्री सेंगर, को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

6. श्री डी.एस. सेंगर, भापुसे द्वारा पुलिस महानिरीक्षक विसबल, इंदौर का कार्यभार ग्रहण करने पर इनके अवकाश अवधि में इनके दायित्वों के निर्वहन हेतु निर्देशित अधिकारी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

7. अवकाश से लौटने पर श्री डी.एस.सेंगर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक विसबल, इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

8. अवकाशकाल में श्री डी.एस.सेंगर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

9. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी.एस. सेंगर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2010

क्र. एफ 1(ए) 347-85-ब-2-दो.—श्री आर. के शुक्ला, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (गुप्तवार्ता) पु.मु. भोपाल को Phase-V Training of Mid Carreer में भाग लेने के उपरान्त लंदन (यू. के.) में प्रवास हेतु दिनांक 01 अगस्त 2010 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ सहित दिनांक 02 से 05 अगस्त 2010 तक कुल 04 दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India) निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है:—

(1) विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.

(2) विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

(3) विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

2. श्री आर.के.शुक्ला, भापुसे, की अवकाश अवधि में श्री अनिल कुमार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (गुप्तवार्ता) पु.मु. भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (गुप्तवार्ता) पु.मु. भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

3. श्री आर.के.शुक्ला, भापुसे, द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (गुप्तवार्ता) पु.मु. भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे, उक्त पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

4. अवकाश से लौटने पर, श्री आर. के. शुक्ला, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (गुप्तवार्ता), पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

5. अवकाश काल में श्री आर.के.शुक्ला, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर.के.शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजन कटोच, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2010

फा. क्र. 1(अ)-3-03-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन निम्नलिखित अधिवक्ताओं को महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये पद एवं निश्चित् मासिक पारिश्रमिक पर महाधिवक्ता के परामर्श से उच्च न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 16 जुलाई 2010 से 15 जुलाई 2011

. तक एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे:—

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद	पारिश्रमिक प्रतिमाह
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री एस. के. कश्यप	शास. अधिवक्ता	20,000

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 1(अ)-3-03-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 जुलाई, 2009 के अनुक्रम में महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में निम्नलिखित विधि पदाधिकारी के कार्यकाल में 16-7-2010 से 15-7-2011 तक वृद्धि करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे:—

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद	पारिश्रमिक प्रतिमाह
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री कुमरेश पाठक	उप महाधिवक्ता	23,000

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 1(अ)-3-03-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन निम्नलिखित अधिवक्ताओं को महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये पद एवं निश्चित् मासिक पारिश्रमिक पर महाधिवक्ता के परामर्श से उच्च न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 16-7-2010 से 15-7-2011 तक एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे:—

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद	पारिश्रमिक प्रतिमाह
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री विजय शंकर पाण्डे	शास. अधिवक्ता	20,000
2	श्री शैलेन्द्र सिंह बिसेन	शास. अधिवक्ता	20,000
3	श्री आशिष श्रौती	शास. अधिवक्ता	20,000
4	श्री अशोक चौरसिया	शास. अधिवक्ता	20,000
5	श्री नवीन कुमार अग्रवाल	उप शास. अधिवक्ता	17,000

महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद	पारिश्रमिक प्रतिमाह
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री एल.एन. सोनी	अतिरिक्त महाधिवक्ता	25,000
2	श्रीमती ज्योति शर्मा तिवारी	शास. अधिवक्ता	20,000
3	श्री सूरज शर्मा	उप शास. अधिवक्ता	17,000

महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद	पारिश्रमिक प्रतिमाह
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री एस.पी.एस. रघुवंशी	अतिरिक्त महाधिवक्ता	25,000
2	श्री चन्द्रशेखर दीक्षित	उप महाधिवक्ता	23,000
3	श्री दीपक खोत	शास. अधिवक्ता	20,000
4	श्री देवेन्द्र चौबे	उप शास. अधिवक्ता	17,000

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 1(अ)-3-03-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 जुलाई, 2009 एवं 15 जुलाई, 2009 के अनुक्रम में महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर में निम्नलिखित विधि पदाधिकारियों के कार्यालय में 16-7-2010 से 15-7-2011 तक वृद्धि करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे:—

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद	पारिश्रमिक प्रतिमाह
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री प्रशान्त सिंह	अतिरिक्त अधिवक्ता	25,000
2	श्री नमन नागरथ	अतिरिक्त अधिवक्ता	25,000
3	श्री जिनेन्द्र जैन	उप महाधिवक्ता	23,000
4	श्री पुरषेन्द्र कौरव	उप महाधिवक्ता	23,000

(1)	(2)	(3)	(4)
5	श्री रोहणी प्रसाद तिवारी	शास. अधिवक्ता	20,000
6	श्री विवेक अग्रवाल	शास. अधिवक्ता	20,000
7	श्रीमती शितला दुबे	शास. अधिवक्ता	20,000
8	श्रीमती सुशीला पालीवाल	शास. अधिवक्ता	20,000
9	श्री हरीश अग्निहोत्री	शास. अधिवक्ता	20,000
10	श्री सुदेश वर्मा	शास. अधिवक्ता	20,000
11	श्री उमेश पाण्डे	शास. अधिवक्ता	20,000

महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद	पारिश्रमिक प्रतिमाह
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री मनोज द्विवेदी	उप महाधिवक्ता	23,000
2	श्री विवेक फड़के	शास. अधिवक्ता	20,000
3	श्री दीपक रावल	शास. अधिवक्ता	20,000
4	श्री गोकुल सिंह चौहान	शास. अधिवक्ता	20,000
5	श्रीमती सीमा शर्मा	उप शास. अधिवक्ता	17,000

महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद	पारिश्रमिक प्रतिमाह
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री विवेक खेड़कर	शास. अधिवक्ता	20,000
2	श्री टी.सी. बंसल	शास. अधिवक्ता	20,000
3	श्री प्रेमनारायण गुप्ता	शास. अधिवक्ता	20,000
4	श्री रामप्रकाश राठी	शास. अधिवक्ता	20,000
5	श्री विशाल मिश्रा	शास. अधिवक्ता	20,000
6	श्री प्रवीण निवासकर	उप शास. अधिवक्ता	17,000
7	श्री मुकुन्द भारद्वाज	उप शास. अधिवक्ता	17,000

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2010

फा. क्र.-1 (अ) 3-03-इक्कीस-ब-दो-**संशोधन**.—राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जुलाई 2010 में महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर में अनुक्रमांक-7 पर अंकित श्री मुकुन्द भारद्वाज, उप-शासकीय अधिवक्ता के पद पर नियुक्ति आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:—

"श्री मुकुन्द भारद्वाज, के पदनाम पर "शासकीय अधिवक्ता" तथा पारिश्रमिक के चरण में प्रतिमाह रु. 20,000/- पढ़ा जावे."

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2010

फा. क्र.-17 (ई) 29-2000-इक्कीस-ब-दो.—विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक-59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का संख्यक-39 की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, म.प्र. उच्च न्यायालय के मान. मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से म. प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

No. 17 (E)-29-2000-XXI-B(II).—In exercise of the powers conferred by the sub-section (3) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as mended by the Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), the State Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of Madhya Pradesh High Court appoints on deputation Shri Anil Kumar Chaturvedi, District and Sessions Judge, Vidisha Member of Madhya Pradesh Higher Judicial Service, as Member Secretary of Madhya Pradesh Legal Services Authority with effect from the date he assumes office.

फा. क्र.-4-1-2002-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 के अधीन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मार्च 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालयों में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 (3) के अंतर्गत निम्नलिखित उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए परिवार न्यायालयों में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने (जो भी पहले हो) तक सारणी में वर्णित स्थान पर नियुक्त करता है.

उक्त न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 (3) के अंतर्गत होगा :—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदस्थापना	कुटुम्ब न्यायालय का मुख्यालय
(1)	(2)	(3)
1	श्री योगेश कुमार सोनगरिया, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम.	प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन.
2	श्रीमती अंजलि पालो, विशेष न्यायाधीश, अ.जा., अनु. जनजाति (अत्या. निवा.) अधिनियम के अंतर्गत गठित न्यायालय, जबलपुर.	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, रीवा

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2010

क्र. फा. 3 (बी) 1-2009-इक्कीस-ब (एक), (मेरिट क्रं.-23).—राज्य शासन, **श्री राकेश सनोडिया**, पुत्र श्री छन्नूलाल सनोडिया को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ-वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला जिला सिवनी है. उसकी जन्मतिथि 05 जुलाई, 1980 है.

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वत: निरस्त हो जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2010

फा. क्र. 1 (बी)-18-04-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25-6-07 द्वारा नियुक्त श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, (फास्ट ट्रेक कोर्ट) डबरा, जिला ग्वालियर के कार्यकाल में दिनांक 24 फरवरी 2010 से 24 फरवरी 2013 तक तीन वर्ष वृद्धि करता है. यह वृद्धि बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2010

फा. क्र. 1 (बी)-1-2005-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 सितम्बर 2005 द्वारा नियुक्त श्री रामअवतार तिवारी, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, सागर के कार्यकाल में दिनांक 24 सितम्बर 2009 से कार्यकाल में तीन वर्ष 23 सितम्बर 2012 तक वृद्धि करता है. यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी)-1-2005-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री पुरुषोत्तम लाल रावत पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण रावत, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सागर सत्र खण्ड के सागर राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, रहली नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी)-1-2005-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री रविकांत सराफ पुत्र स्व. श्री रामेश्वर प्रसाद सराफ, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सागर सत्र खण्ड के सागर राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, सागर नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2010

फा. क्र. 17 (ई)-171-2010-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश राज्य में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 17 (ई)-176-2007-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 12-10-2007 एवं 17 (ई)-524-2008-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 30 अगस्त 2008 द्वारा आवंटित नोटरी पदों में से जिला मुख्यालय, ग्वालियर में स्वीकृत रिक्त दो नोटरी पदों को ब्लाक बसई जिला दतिया एवं जिला मुख्यालय, भोपाल पर रिक्त एक नोटरी पद को तहसील नटेरन जिला विदिशा स्थानांतरित करता है. नोटरी पदों के स्थानांतरण एवं स्थानांतरण पश्चात् वर्तमान संख्या को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है:—

सरल क्रमांक	जिला	जिला मुख्यालय/ तहसील	स्वीकृत नोटरी पद	स्थानांतरित नोटरी पद	स्थानांतरण उपरांत जिले में शेष नोटरी पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	ग्वालियर	जिला मुख्यालय, ग्वालियर.	42	-02	40
09	दतिया	ब्लाक बसई	00	+02	02
05	भोपाल	जिला मुख्यालय, भोपाल.	59	-01	58
44	विदिशा	नटेरन	04	+01	05

स्थानांतरित नोटरी पदों में जो संख्या (+ या-) के चिन्ह के बाद बताई गई है वह तत्संबंधी जिले में पूर्व से आवंटित नोटरी पदों में से स्थानांतरण की है.

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2010

फा. क्र. 1(बी)-28-2004-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22-9-2004 एवं 23-1-2006 द्वारा नियुक्त निम्न शास. अभिभाषक/अति.शास. अभिभाषक/लोक अभियोजक/अति. लोक अभियोजक, हरदा के कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक से कार्यकाल में तीन वर्ष की वृद्धि करता है. यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(1) श्री बलराम पटेल, शास. अभिभाषक/लोक अभियोजक, हरदा दिनांक 24 जनवरी 2009 से तीन वर्ष 23 जनवरी 2012 तक.

(2) श्री सुन्दरलाल निशोद, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, हरदा दिनांक 23 सितम्बर 2008 से तीन वर्ष 22 सितम्बर 2011 तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.जे. खान, सचिव.

जेल विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई, 2010

क्र. एफ-6-16-2002-तीन.—जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, नीलम पार्क, जहांगीराबाद, भोपाल एवं यादगारे शाहजानी पार्क, भोपाल को दिनांक 19 जुलाई 2010 से दिनांक 30 जुलाई 2010 तक के लिए अस्थाई जेल घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ललित दाहिमा, उपसचिव.

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2010

एफ. नं. 1-32-06-बावन (1).—मध्यप्रदेश चर्म विकास निगम लि. में निम्नानुसार कालम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को संचालक नियुक्त करने से संबंधित कालम (3) में उल्लिखित तीनों विभागीय आदेशों में संशोधन कर राज्य शासन "मध्यप्रदेश चर्म विकास निगम लि. के मेमोरेण्डम आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन" के आर्टिकल 71(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कालम (2) में उल्लिखित अधिकारियों के स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कालम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को मध्यप्रदेश चर्म विकास निगम लि. के संचालक नियुक्त करता है.

अनु.	पूर्व में संचालक के पद पर नियुक्त किए गए अधिकारी एवं उसके द्वारा तत्समय धारित पद का नाम	विभागीय आदेश का क्रमांक एवं दिनांक, जिससे कालम (2) में उल्लिखित अधिकारी को संचालक नियुक्त किया गया	कालम (2) में उल्लिखित अधिकारी के स्थान पर विद्यमान स्थिति में संचालक के पद पर नियुक्त किए गए अधिकारी एवं उसके द्वारा धारित पद का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री एम.एस. उप्पल, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल.	एफ. नं. 11-32/06/बावन (1), दिनांक 1-12-2006	श्रीमती दीपाली रस्तोगी, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम,भोपाल.
2	श्री एम.के.सिंह, आयुक्त, रेशम मध्यप्रदेश, भोपाल.	एफ. नं. 1-32/06/बावन (1), दिनांक 29-6-2007	श्री एस.डी. पटेरिया, संचालक, रेशम मध्यप्रदेश, भोपाल.
3	श्री अशोक नरोन्हा, प्रबंधक संचालक, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल.	एफ. नं.1-32/06/बावन (1), दिनांक 29-6-2007	श्री एम.के.सिंह, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे.पी. पिड़िहा, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कमिश्नर, सागर संभाग, सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 26 फरवरी 2010

क्र.-39-रीडर कमि.-2010.—सागर संभाग के कमिश्नर एवं अतिरिक्त कमिश्नर के मध्य राजस्व एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत न्यायालयीन कार्य विभाजन बावत् इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 126-री.कमि.-09, दिनांक 1 सितम्बर 2009 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन आदेशित किया जाता है:—

निम्न अधिनियमों के अन्तर्गत दिनांक 1 मार्च 2010 से जिला छतरपुर के प्रस्तुत होने वाले नवीन मामलों की सुनवाई व निराकरण अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग, सागर द्वारा जिला छतरपुर में प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को केम्प लगाकर किया जायेगा.—

(1) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील एवं निगरानी प्रकरणों का निराकरण.

(2) मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत अपील पुनरीक्षण एवं याचिका प्रकरणों का निराकरण.

(3) शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्रों के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका से संबंधित अपील व निगरानी प्रकरणों का निराकरण.

(4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत अपील प्रकरणों का निराकरण.

यह आदेश दिनांक 1 मार्च 2010 के पूर्वान्ह से प्रभावशील रहेगा.

सागर, दिनांक 18 मई 2010

क्र.-92-रीडर कमि.-2010.—सागर संभाग, सागर के कमिश्नर एवं अतिरिक्त कमिश्नर के मध्य राजस्व एवं अन्य अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालयीन कार्य विभाजन बावत् इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-39-री.-कमि.-2010, दिनांक 26 फरवरी 2010 के अनुसार जिला छतरपुर के प्रस्तुत होने वाले नवीन मामलों की सुनवाई व निराकरण अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग, सागर द्वारा जिला छतरपुर में प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को कैम्प लगाकर किया जाना है.

उपरोक्त आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन आदेशित किया जाता है:—

(1) जिला छतरपुर के जो नवीन मामले सागर में प्रस्तुत किये जा रहे हैं उनमें आवेदक पक्षकार यदि आवेदन प्रस्तुत कर उसकी सुनवाई सागर में कराना चाहते हैं तो पक्षकार की मंशा के अनुरूप उसकी सुनवाई सागर में कराई जाये तथा जो पक्षकार आवेदन प्रस्तुत कर उसकी सुनवाई छतरपुर कैम्प में कराना चाहते हैं तो उनकी सुनवाई छतरपुर कैम्प में की जावेगी.

(2) जिला छतरपुर में प्रस्तुत प्रकरणों की सुनवाई पूर्वानुसार छतरपुर में की जावेगी.

यह आदेश दिनांक 19 मई 2010 के पूर्वान्ह से प्रभावशील होगा.

एस.के.वेद, कमिश्नर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-शहडोल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/दस/भू-अर्जन/फा 500/2/अ-82/2009/10/3431 शहडोल, दिनांक 13 जुलाई 2010

करार-पत्र

यह करार-पत्र आज दिनांक 12 जुलाई, 2010 को प्रथम पक्ष कलेक्टर, शहडोल के मार्फत् कार्य करते हुये मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् राज्यपाल कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में जहां प्रसंग से वैसा अनुमत हो, उसके पद के उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष एस. जे. के. पावर जेन लिमिटेड शहडोल (म. प्र.) जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित एक पब्लिक, लिमिटेड कम्पनी है तथा जिसका मुख्यालय एवं रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 1445, बजस प्रथम तल 28वॉ में, 9 वॉ ब्लाक जय नगर पूर्व बैंगलोर 560069 कर्नाटका स्थिति है (जिसे इसमें इसके पश्चात् कम्पनी है, जिस अभिव्यक्ति में जहाँ कि प्रसंग से अनुमत हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत अभिहस्तांतरित सम्मिलित होंगे) के मध्य किया जाता है एवं परियोजना का कार्यालय हनुमान चौक घरौला मोहल्ला, वार्ड नं. 15, शहडोल, पिन कोड 484001 में स्थित है.

चूंकि कम्पनी ने जिला शहडोल, तहसील सोहागपुर के ग्राम लालपुर, जनरल नं. 918, पटवारी हल्का नं. 64, राजस्व निरीक्षक मण्डल कंचनपुर में स्थित भूमि को जिसके खसरा क्रमांक संलग्न सूची अनुसार खसरा नम्बर 46 हैं, कुल रकवा 28.255 हे. हैं, (जिसे इसमें संलग्न की गई सूची में अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है तथा अधिक स्पष्ट: दृष्टि से इसमें उपाबद्ध मानचित्र पर अंकित किया गया है और उसमें सुर्खी से बतलाया है इसके पश्चात् उक्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) प्रस्तावित 660×2 मेगावाट के विद्युत् परियोजना की स्थापना के प्रयोजन हेतु अधिग्रहित भूमि एवं उसके सहायक अन्य कार्यों के जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त मेसर्स एस. जे. के. पावर जेन लिमिटेड शहडोल (म. प्र.) के नाम से निर्दिष्ट किया गया, निर्माण तथा स्थापना के लिये लैण्ड एक्यूजिशन एक्ट, 1894 (क्रमांक 1, सन् 1984) (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त एक्ट के नाम से निर्दिष्ट है) के उपबंधों के अधीन अर्जित करने राज्यपाल से प्रार्थना की है.

और, चूंकि, राज्यपाल का उक्त एक्ट के उपबंधों के अधीन रिपोर्ट पर विचार करके उपरांत यह समाधान हो गया हैं कि उक्त औद्योगिक इकाई ग्राम लालपुर जिसके लोकोपयोगी सिद्ध होने की संभावना है, के निर्माण तथा स्थापना के लिये प्रस्तावित अर्जन आवश्यक है. अत: वे उक्त भूमि के अर्जन के लिये रजामंद हो गये है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-4-2009-सात-2ए-3 अप्रैल 2010 के शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान गई है.

और, चूंकि, राज्यपाल ने कंपनी को उक्त एक्ट की धारा 41 के अधीन इसमें इसके पश्चात् दिये गये निबंधनों तथा शर्तों पर राज्यपाल के साथ करार करने के लिये आपेक्षित है.

अतएव, यह करार निम्नलिखित बातों का साक्षी है और एतद्द्वारा यह करार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि :—

1. कंपनी राज्यपाल या ऐसे व्यक्ति को, जिसे कि राज्यपाल इस संबंध में नियुक्त करे ऐसी समस्त राशियाँ चुकाएगी जो कि राज्यपाल को उक्त भूमि का अर्जन करने में प्रतिकार या अर्जन से प्रासंगिक अन्य प्रभारों के कारण खर्च करना पड़े, वह धन जो कंपनी द्वारा इस खण्ड के अधीन देय होगा और तत्पश्चात् ऐसी और रकम या रकमों की जिसके कि जिसमें/जिनके संबंध में कलेक्टर यह अनुमान करें कि वह/वें समय-समय पर प्रतिकार या अर्जन से प्रासंगिक अन्य प्रभारों को चुकाने के प्रयोजन के लिये अपेक्षित होगी/होंगी, कलेक्टर को, उसके द्वारा लिखित में मांग किये जाने के पश्चात् 14 दिन के भीतर देनगी करने चुकाया जायेगा, यदि कंपनी ऊपर निर्दिष्ट किये गये अनुसार अर्जन के सम्पूर्ण खर्च या उसके किसी भाग के पूर्ववत् कालावधि के भीतर राज्यपाल को न चुकाये तो राज्यपाल उस कंपनी से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने के लिये हकदार होगा, परन्तु उस खण्ड में अन्तर्विष्ट किसी भी बात का शासन के अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

2. ऊपर के खण्ड (1) के अधीन देय समस्त धन की देनगी होने पर राज्यपाल उक्त भूमि कंपनी को अन्तरित करेंगे और तदुपरांत कंपनी ऐसे राजस्व तथा अन्य प्रभारों को, जो कि समय-समय पर निश्चित किये जायें, चुकाने के अपने दायित्वों के अधीन रहते हुये तथा इसके अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये उक्त भूमि को धारण करेगी, अर्थात् :—

    1. कंपनी (इस आशय की करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनके परिवार के कम-से-कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुर्नवास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.

3. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियाँ अनुमोदन एवं अनापत्तियाँ संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम/तथा नगर ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टरप्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.

4. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

5. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जित की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

6. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

7. कम्पनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).

8. यदि कंपनी की दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार के मुआवजा देय नहीं होगा.

9. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

10. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

11. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

12. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

13. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

14. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

15. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित की जायेगी.

16. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

17. माननीय सिविल न्यायालय द्वारा किसी भी कृषक के भूमि संबंधी वाद पर अतिरिक्त राशि भुगतान के आदेश होने पर कंपनी उपरोक्त राशि प्रदान करने को बाध्य रहेगी.

अनुसूची

मेसर्स एस. जे. के. पावर जेन लिमिटेड शहडोल, मध्यप्रदेश को ताप विद्युत् परियोजना हेतु ग्राम लालपुर, पटवारी हल्का नं. 64, राजस्व निरीक्षक मण्डल, कंचनपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल की भूमि के भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित कृषक सर्वे क्रमांक एवं रकबा :—

ग्राम लालपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

क्रमांक (1)	भूमि-स्वामी का नाम (2)	खसरा नम्बर (3)	कुल रकबा (हे. में) (4)	प्रस्तावित भूमि का रकबा (हे. में.) (5)
1	कपिल कुमार आत्मज बाबूलाल कुशवाहा, सा. देह	41/9	0.161	0.161
2	कमला आत्मज सुधइया ब्राहमिन, सा. देह	50/1	0.114	0.114
3	राजेन्द्र आत्मज कमला ब्राहमिन, सा. देह	50/2	0.114	0.114
4	श्रीकांत आत्मज कमला ब्राहमिन, सा. देह	50/3	0.114	0.114
5	कृष्णकांत आत्मज कमला ब्राहमिन, सा. देह	50/4	0.114	0.114
6	नागेश्वर आत्मज कमला ब्राहमिन, सा. देह	50/5	0.115	0.115
7	रामकृपाल आत्मज सुदर्शन, सा. देह	67	0.239	0.239
8	किरन देवी पति मनभरन सिंह, सा. देह	75	0.478	0.478
9	सुरेशचन्द्र वगैरह आत्मज राममिलन गुप्ता,	100/1क	0.351	0.351
	सा. देह	1716/1	0.176	0.176
10	भैयालाल आत्मज रामविशाल गुप्ता वगै., सा. देह	101	0.898	0.898
11	पक्शु कोल आत्मज गोरेलाल कोल,	124	1.631	1.631
	सा. देह	117	0.121	0.121
12	ललता पति रामावतार पाल, सा. देह	118	0.235	0.235
		121	0.709	0.709
13	श्रीमती महेन्द्र कौर पत्नि प्रीतम सिंह	119	0.174	0.174
	सरदार, सा. देह	120/3	0.118	0.118
14	रमेश बारी वगैरह आत्मज मूलचन्द बारी, सा. देह	120/1	0.121	0.121
15	गणेश आत्मज चुनुआ बारी, सा. देह	120/2	0.121	0.121
16	पोहकल कोल एवं रामदास आत्मज मोहन	1655/2	0.113	0.113
	कोल, सा. देह			
17	बुन्देली गुप्ता आत्मज रामसेवक गुप्ता, सा.	102	0.967	0.967
	देह	1717	0.348	0.348
18	बाबूलाल कुशवाहा आत्मज थन्नू कुशवाहा,	1597	0.231	0.231
	सा. देह	1753	0.117	0.117
		1755	0.154	0.154
19	रमेश द्विवेदी वगैरह आत्मज रामकिशोर	1652	0.206	0.206
	द्विवेदी, सा. देह			
20	बसन्ती पत्नि मोहन, सा. देह	1655/1	0.114	0.114
21	प्रेमवती आत्मज जोधीराम गर्ग, सा देह	1657	0.170	0.170
		105	0.113	0.113
		68	0.251	0.251
22	रामसुफल द्विवेदी आत्मज रामेश्वर द्विवेदी,	1667	0.599	0.599
	सा. देह	1702	0.291	0.291

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
23	सुरसरी सिंह वगैरह आत्मज रामस्वरुप		1676	0.587	0.587
	सिंह, सा. देह		1665	0.486	0.486
24	मंगलिया आत्मज मुडिया, सा. देह		1683	0.279	0.279
25	मंजूला गर्ग आत्मज रामविशाल गर्ग, सा. देह		1699/3	0.081	0.081
26	प्रदीप सिंह आत्मज रामस्वरूप सिंह, सा. देह		1700/2	0.077	0.077
27	हीरालाल पाल आत्मज सुखदेव पाल, सा. देह		1715	0.514	0.514
28	किरन देवी आत्मज मनभरन सिंह, सा. देह		1721	0.914	0.914
			73	0.599	0.599
29	पंखू साहु पत्नि छोटू साहू, सा. देह		1746	0.486	0.486
30	सुनीता पत्नि सुमन प्रसाद गुप्ता, सा. बुढ़ार		1750	2.181	2.181
31	जानकी आत्मज सूरजदीन, सा. बुढ़ार		1772	11.695	11.695
32	नानबाबू आत्मज मुल्लेराम पाल सा. देह		1748/296	0.405	0.405
			6/2		
33	मोतीलाल गुप्ता आत्मज ददनू गुप्ता,		106/2	0.062	0.062
	सा. देह.		108/2	0.111	0.111
		योग . .	46 किता	28.255	28.255

इसके साक्ष्य में करार के पक्षों ने इस करार पर उस दिनांक तथा वर्ष को जो क्रमशः उनके अपने-अपने हस्ताक्षरों के सम्मुख अंकित हैं, अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं.

साक्षीगण :

हस्ता./-

1. **(राजेन्द्र कुमार राय)**
डिप्टी कलेक्टर, शहडोल, मध्यप्रदेश.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ता./-
(नीरज दुबे)
कलेक्टर, जिला शहडोल एवं पदेन
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग.

कलेक्टर
शहडोल (म. प्र.)
कृते—मेसर्स एस. जे. के. पावर जैन लिमिटेड.

हस्ता./-

2. **(प्रशांत सिंह बघेल)** S/o नरेन्द्र सिंह
ग्राम पोस्ट लालपुर, जिला शहडोल (म. प्र.).

हस्ता./-
(अनिल कुमार सक्सेना)
महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट),
एस. जे. के. पावर जेन लिमिटेड,
शहडोल (म. प्र.).

शहडोल, दिनांक 21 जुलाई 2010

क्र.-5-व.लि.-1-2010-3587.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश मण्डी अधिनियम, 1975 की धारा 11(1)(घ) के अन्तर्गत निर्वाचित मण्डी समिति श्हडोल के बैठक में सम्मिलित होने हेतु माननीय श्री सुन्दर सिंह जी विधायक के प्रतिनिधि के रूप में श्री सुखनारायण त्रिपाठी, निवासी-मीट मार्केट, शहडोल को नामांकित किया गया है.

नीरज दुबे, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 27 नवम्बर 2009

क्र. 12152-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	निसरपुर	64.95	कार्यपालन यंत्री, (लो.नि.वि.) न.घा.वि.प्रा. मानजोबट परियोजना संभाग, कुक्षी.	सरदार सरोवर परियोजना के डूब से प्रभावित होने से.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन कार्यालय कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, (लो.नि.वि.)न.घा.वि.प्रा. मानजोबट परियोजना संभाग, कुक्षी के कार्यालयों में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 12 मार्च 2010

प्र. क्र. 34-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा अधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चन्दला	हथौंहा	0.574	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) लौड़ी.	केन पुल अजयगढ़-चन्दला मार्ग के कि.मी. 15/2 पर पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—केन पुल अजयगढ़-चन्दला मार्ग के कि.मी. 15/2 पर पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
(3) भू-अर्जन के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, लौड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

छतरपुर, दिनांक 7 मई 2010

क्र. 25-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	घुवारा	अमरवा	50.000	अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर जिला, छतरपुर (म. प्र.).	अमरवा तालाब योजना निर्माण हेतु अर्जित भूमि.

भू-अर्जन का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 26-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	घुवारा	कचरा	20.000	अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर जिला, छतरपुर (म. प्र.).	अमरवा तालाब योजना निर्माण हेतु अर्जित भूमि.

भू-अर्जन का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 27-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बकस्वाहा	मुड़िया खुर्द	1.800	अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर जिला, छतरपुर (म. प्र.).	बकस्वाहा तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु अर्जित भूमि.

भू-अर्जन का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 28-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बकस्वाहा	बकस्वाहा	3.200	अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर जिला, छतरपुर (म. प्र.).	बकस्वाहा तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु अर्जित भूमि.

भू-अर्जन का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 29-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बिजावर	पुनगवाँ	25.400	अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर जिला, छतरपुर (म. प्र.).	भैरा-पुनगवाँ तालाब योजना निर्माण हेतु अर्जित भूमि.

भू-अर्जन का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 21 जुलाई 2010

प्र. क्र. 38-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	सिमरिया	1.568	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी.	बरियापुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिमरिया वितरक नहर चैन क्र. 0 से 69 हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—बरियापुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिमरिया वितरक नहर चैन क्र. 0 से 69 हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण तहसील कार्यालय, चंदला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भावना वालिंबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास महान (गुलाब सागर) परियोजना, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 25 जून 2010

पत्र क्र. 575-भू-अर्जन-रीवा.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इनके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	मनकीसर कोठार	1.50	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी (म. प्र).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली महान नहर की ग्राम मनकीसर कोठार के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, महान (गुलाब सागर) परियोजना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 577-भू-अर्जन-रीवा.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इनके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	कथरिया	2.80	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी (म. प्र).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली महान नहर की ग्राम कथरिया के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, महान (गुलाब सागर) परियोजना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 579-भू-अर्जन-रीवा.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इनके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	पोड़ी	2.00	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी (म. प्र).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली महान नहर की ग्राम पोड़ी के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, महान (गुलाब सागर) परियोजना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 581-भू-अर्जन-रीवा.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इनके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	तेन्दुआ	11.71	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी (म. प्र).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली महान नहर की ग्राम तेन्दुआ के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, महान (गुलाब सागर) परियोजना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 583-भू-अर्जन-रीवा.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इनके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	गेदुरा	4.50	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी (म. प्र).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली महान नहर की ग्राम गेदुरा के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, महान (गुलाब सागर) परियोजना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 585-भू-अर्जन-रीवा.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इनके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	कुबरी	17.60	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी (म. प्र).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली महान नहर की ग्राम कुबरी के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, महान (गुलाब सागर) परियोजना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 587-भू-अर्जन-रीवा.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इनके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	झखरवार	4.90	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी (म. प्र).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली महान नहर की ग्राम झखरवार के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, महान (गुलाब सागर) परियोजना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 589-भू-अर्जन-रीवा.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इनके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	मनकीसर	1.30	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी (म. प्र).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली महान नहर की ग्राम मनकीसर के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, महान (गुलाब सागर) परियोजना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 591-भू-अर्जन-रीवा.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	देवगढ़	4.80	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी (म. प्र).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली महान नहर की ग्राम देवगढ़ के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, महान (गुलाब सागर) परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 593-भू-अर्जन-रीवा.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	देवछा	2.40	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी (म. प्र).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली महान नहर की ग्राम देवछा के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, महान (गुलाब सागर) परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 12 जुलाई 2010

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 500-2-अ-82-2009-10-3381.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	लालपुर	28.255	जनरल मैनेजर, (प्रोजेक्ट), एस. जे. के. पावरजेन लिमिटेड, शहहोल, (म. प्र.).	एस. जे. के. पावरजेन लिमि. को 2×660 मेगावाट के विद्युत् परियोजना की स्थापना हेतु भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 13 जुलाई 2010

क्र. क-वाचक-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 2 अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला/ तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर/ बुराहनपुर.	भोंटा	64/1	0.72	संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर.	ग्राम भोंटा में बार्डर चेक पोस्ट का निर्माण.
		63	0.26		
		64/3	0.16		
		71/1	0.15		
		71/3	0.16		
		71/4	0.15		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		69	0.66		
		94/1	0.92		
		93/2	0.13		
		92/1	0.20		
		91/1	0.23		
		199/1	0.15		
		197/1	0.58		
		75/1	0.65		
		74/1	1.83		
		74/2, 216/1, 216/2, 216/3	0.25		
		217	0.20		
		220	0.20		
		215/1	0.37		
		215/2	0.25		
		76/1	0.02		
		86	0.05		
		214/1	0.02		
		196/1	0.43		
		209/1-2	0.20		
		206	0.10		
		210/1	0.44		
		211	0.09		
		208	0.08		
		207	0.02		
		195	0.02		
		योग . .	9.69		

नोट.—अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 14 जुलाई 2010

प्र. क्र. 1 अ-82-वर्ष 2009-10-भू-अर्जन-5218.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में

उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	बैतूल	हिवरखेड़ी कोदारोटी	0.234 0.291	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतू निर्माण संभाग, भोपाल.	हिवरखेड़ी-कोदारोटी मार्ग के कि.मी. 2/8 पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बैतूल तथा कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतू निर्माण संभाग, भोपाल एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सेतू निर्माण उप संभाग, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय आनन्द कुरील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 14 जुलाई 2010

क्र. 6-अ-82-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	टिहोली	14.289 हे.	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

फार्म एक (3)
हर्सी उच्चस्तरीय मुख्य नहर R.D. 72.88 किमी. से 110 किमी. के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

सर्वे क्र.	सर्वे क्र. का कुल रकबा	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा
1098/3	1.202	1.097

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1098/4	0.348	1.097	
			1098/2	1.097	–''–	
			1098/1	0.376	–''–	
			1057/1	1.703	1.444	
			1057/2	0.418	–''–	
			1057/3	0.209	–''–	
			1057/4	1.463	–''–	
			1057/5	0.627	–''–	
			1061/1	5.016	1.515	
			1061/2	–''–	–''–	
			1052/2	2.142	1.084	
			1052/1मि.2	–''–	–''–	
			1049/मि.2	1.954	1.025	
			1049/मि.2	–''–	–''–	
			1049/मि.1	0.418		
			1049		–''–	
			1078/मि.3	0.941	1.265	
			1078/मि.1	0.857	–''–	
			1078/मि.4	0.836	–''–	
			1078/मि.2	0.084	–''–	
			1100/मि.2	0.230	1.327	
			1100/मि.3	0.951	–''–	
			1100/मि.4	1.202	–''–	
			1100/मि.5	0.324	–''–	
			1103	3.700	0.983	
			1049/मि.2	1.0954		
			1049/मि.1	0.418	–''–	
			1051		1.656	
			1051/1	2.822		
			1051/2	2.195		
			1095	1.097	0.052	
			1050	5.016	0.794	
			1099	3.669	1.672	
			1102	3.344	0.061	
			1042	1.014	0.314	
				कुल . .	14.289	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 14 जुलाई 2010

प्र. क्र. 26-अ-82 वर्ष 2009-10-पत्र क्र. 310-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गोटेगांव	ग्राम डोभ नं.बं. 225, प.ह.नं. 40.	1.648	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.	अपर डोभ जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 27-अ-82 वर्ष 2009-10-पत्र क्र. 310-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गोटेगांव	ग्राम सुकरी नं.बं. 581, प.ह.नं. 40.	1.760	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.	अपर डोभ जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 28-अ-82 वर्ष 2009-10-पत्र क्र. 310-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गोटेगांव	ग्राम बम्हनी, नं.बं. 363, प.ह.नं. 35/ख.	7.442	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.	बम्हनी जलाशय बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

नरसिंहपुर, दिनांक 15 जुलाई 2010

रा. मा. प्र. क्र. 29-अ-82 वर्ष 2009-2010-पत्र क्र. 316-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गोटेगांव	सुकरी	9.705	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.	डोभ जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रा. मा. प्र. क्र. 30-अ-82 वर्ष 2009-2010-पत्र क्र. 316-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग

करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गोटेगांव	डोभ प.ह.नं. 40.	6.073	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.	डोभ जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एल. सोलंकी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 10 जुलाई 2010

प्र. क्र. 22-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खानें (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है; अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण–
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	रेहटी	नीनोर	0.344	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, सीहोर.	बांया जहाजपुरा मार्ग निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बांया जहाजपुरा मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, बुदनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गंगवार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 16 जुलाई 2010

क्र. 2282-भू-अर्जन-10.-**संशोधन.**—तहसील महेश्वर, जिला खरगोन के ग्राम सुलगांव की अर्जनीय आबादी भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियां तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाओं के अर्जन हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी भू-अर्जन अधिनियम, 1894

की धारा 4(1) की अधिसूचना का राजपत्र में दिनांक 5 मार्च, 2010 को पृष्ठ क्रमांक 333 पर त्रुटि पूर्ण प्रकाशन हुआ है. जिसको निम्नानुसार सही संशोधित प्रकाशन पढ़ा जावे :—

क्र.	त्रुटि पूर्ण प्रकाशन	संशोधित प्रकाशन
(1)	(2)	(3)
1	एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं. 1. आबादी भूमि — 1.833 एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित भूमि पर स्थित संरचनाएं. 2. निजी कृषि भूमि — 1.322 3. शासकीय भूमि — 0.204 योग . . 3.359	एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं. 1. आबादी भूमि — 2.756 एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित भूमि पर स्थित संरचनाएं. 2. निजी कृषि भूमि — 0.399 3. शासकीय भूमि — 0.204 योग . . 3.359

शेष प्रविष्ठियां यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 19 जुलाई 2010

क्र. 7569-भू-अर्जन-33-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	छुरीखाल, पटवारी हल्का 33.	3.365 हे./ 8.33 एकड़.	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया.	जमान्या जलाशय की माइनर नहर निर्माण हेतु प्रस्ताव.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, हरदा/अनुविभागीय अधिकारी, खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जॉन किंग्सली ए. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2010

प्र. क्र. 5-अ-82-2009-2010-सा-1-सात.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			खसरा नंबर	रकबा		
				एकड़ हेक्टर		
भोपाल	हुजूर	लाऊखेड़ी	92/1/1/1/1	0.19 0.076	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संधारण संभाग, क्र.-2, भोपाल, मध्यप्रदेश.	मार्ग के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			92/1/1/2	0.19 0.076		
			129/2	0.02 0.008		
			135/1/1/2	0.10 0.040		
			209/1/1	0.11 0.044		
			210/1/2	0.09 0.036		
			128/1/5/1	0.03 0.012		
			128/1/1ख	0.03 0.012		
			128/1/2/2	0.05 0.020		
			128/1/3/1	0.07 0.028		
			212/1/1	0.15 0.060		
			200/1/3	0.16 0.064		
			201/1	0.03 0.012		
			189/1/2/2	0.06 0.024		
			189/1/1/1	0.05 0.020		
			203/2/1	0.16 0.064		
			225, 226/2/1/1	0.05 0.020		
			215/1/2/1	0.14 0.056		
			216/1/1	0.01 0.004		
			216/2/1	0.01 0.004		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			213/2	0.10	0.040	
			128/1/1क	0.14	0.056	
भोपाल	हुजूर	सिंगारचोली	35, 36, 102/35/1/1/4	0.06	0.024	
			35, 36, 102/35/1//1/1/2/1	0.0½	0.002	
			35,36, 102/35/3/1क / 35,36,102/35/3/1ख	0.04	0.016	
			35, 36, 102/35/3/1/2/2ख	0.04	0.016	
			35, 36, 102/35	0.01½	0.006	

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, नगरीय क्षेत्र, भोपाल, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, नजूल बैरागढ़-वृत्त, भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 22 जुलाई 2010

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. . . . .-10-पत्र क्र. 659-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके-सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	डॉड़ी	2.20	कार्यपालन यंत्री, सिविल, पारेषण, म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि., रीवा.	132 के.व्ही. केन्द्र, मैहर के उन्नयन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. 346-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 17-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—झिरन्या

(ग) ग्राम—संगवाडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.308 हेक्टर.

खसरा नम्बर	डूब का रकबा (हे. में)
(1)	(2)
90/1	0.308
योग . .	0.308

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि कि आवश्यकता है—अपरवेदा परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(3) नोटः—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, अपरवेदा परियोजना भीकनगांव मुख्यालय खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 19, भीकनगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 29 जून 2010

क्र. 5-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दतिया

(ख) तहसील—भाण्डेर

(ग) ग्राम—बिछौंदना

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.375 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1294	0.190
1295	0.185
योग . .	0.375

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :—भाण्डेर चिरगांव मार्ग के कि.मी. 15/10 पहूज नदी पर पुल निर्माण के पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 7 जुलाई 2010

प्र. क्र. 17-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—बोरखेड़ाकलॉ, प.ह.नं. 19

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल—4.72 हैक्येटर.
(पूरक प्रस्ताव कृषि भूमि)

कृषि भूमि

सर्वे नं.	अर्जनीय रकबा (हैक्टेयर में)	रिमार्क
(1)	(2)	
107/1	4.72	-
योग . .	4.72	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब से प्रभावित पूरक प्रस्ताव कृषि भूमि होने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण (1) कार्यालय कलेक्टर जिला-खण्डवा, (2) कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 खण्डवा, (3) कार्यालय भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्र. 4 में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 9 जुलाई 2010

क्र. भू-अर्जन-5-(अ-82)-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मण्डला

(ख) तहसील—निवास

(ग) ग्राम—पोंडी, प.ह.नं. 49/63

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.03 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
402	0.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— मझगांव जलाशय की मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-10-(अ-82)-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मण्डला

(ख) तहसील—निवास

(ग) ग्राम—मलठार, प.ह.नं. 40

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.02 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
629	0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—स्टाप डेम-सह-पुलिया निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 12 जुलाई 2010

प्र. क्र. 2-अ-82- 09-10-6708.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, उसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—बीना

(ग) ग्राम—गुनगी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.40 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
149	0.04	पूलिंग स्टेशन प्रथम चरण योजना के तहत् 765 के. वी. विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव.
150/1	0.12	
150/2	0.16	
152	0.07	
153/1	0.21	
153/3	0.02	
274/1	1.30	
267	0.45	
274/3	1.45	
275/1	0.05	
276/1	0.35	
287/1	0.06	
288/1	0.01	
289/1	1.49	
290	1.55	
298/1	0.07	
297/1	2.00	
योग	9.40	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पूलिंग स्टेशन प्रथम चरण योजना के तहत् 765 के.वी. विस्तार हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, बीना एवं जिला कार्यालय सागर में देखा जा सकता है.

क्र. 6709-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—देवरी

(ग) ग्राम—मोरिया, प.ह.नं. 68

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.546 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
36/2	0.01
37	0.05
48	0.003
59	0.01
63	0.015
62	0.015
64	0.003
66	0.030
70	0.016
71	0.018
67	0.004
68	0.003
72	0.013
73	0.013
58	0.025
57	0.050
56	0.015
145/1	0.075
145/2	0.075
144	0.015
142/1	0.004
142/2	0.004
140	0.008
139	0.004
137	0.006
136	0.075
157/1	0.010
158	0.059
50	0.025

(1)	(2)
65	0.017
148	0.080
163	0.180
162	0.002
181	0.100
182/1-2	0.160
233/1	0.110
233/2	0.110
233/3	0.170
49	0.026
69/1	0.015
69/2	0.015
121	0.240
207	0.425
216	0.030
214/1	0.120
215	0.050
217	0.200
223/1	0.180
225	0.036
230	0.008
231	0.028
258/1	0.020
257	0.010
232	0.090
237	0.210
253	0.015
251	0.030
248	0.012
218/1	0.020
149	0.004
159	0.063
234	0.010
254	0.027
223/2	0.080
योग . .	3.546

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—निरन्दपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 15 जुलाई 2010

क्र. 2385-भू-अर्जन-सांवेर-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—इन्दौर
(ख) तहसील—सांवेर
(ग) ग्राम—जाख्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.035 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2/1/1 पार्ट	0.020
4/2/1 पार्ट	0.015
योग . .	0.035

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—इन्दौर-उज्जैन सड़क परियोजना चार लेन मार्ग पर टोल प्लाजा (16 लेन) के निर्माण बाबत्.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2387-भू-अर्जन-सांवेर-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—इन्दौर
(ख) तहसील—सांवेर

(ग) ग्राम—बारोली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.914 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
146 पार्ट	0.170
130/3/1 पार्ट	0.012
130/3/2 पार्ट	0.017
130/4/1 पार्ट	0.021
130/4/2/1 पार्ट	0.025
130/4/2/2 पार्ट	0.040
130/5/1 पार्ट	0.070
130/5/2 पार्ट	0.100
145/2 पार्ट	0.015
129 पार्ट	0.498
173 पार्ट	0.035
174 पार्ट	0.320
175/1 पार्ट	0.085
176/1/2 पार्ट	0.135
176/1/1क पार्ट	0.140
176/1/1ख पार्ट	0.231
योग . .	1.914

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—इन्दौर-उज्जैन सड़क परियोजना चार लेन मार्ग पर टोल प्लाजा (16 लेन) के निर्माण बाबत्.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 19 जुलाई 2010

रा.मा.प्र.क्र. 22 अ-82-वर्ष 2009-2010 पत्र क्र.-321-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—नरसिंहपुर

(ग) ग्राम—बचई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.325 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
13/2	0.032
10/1, 13/1, 14/1	0.101
15/1	0.032
15/2	0.060
25/3, 26/2, 27/5	0.060
25/1, 26/1, 27/1	0.040
योग . .	0.325

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—समनापुर माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर के भू-अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है.

रा.मा.प्र.क्र. 23 अ-82-वर्ष 2009-2010 पत्र क्र.-321-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—नरसिंहपुर

(ग) ग्राम—समनापुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.234 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
44	0.072

(1)	(2)
47/2	0.081
47/4	0.072
47/1	0.061
47/3	0.060
72	0.056
70/1, 2	0.080
68/1	0.130
68/2	0.032
117/1, 2	0.224
126/2	0.048
126/1	0.041
131/1, 2	0.036
131/3	0.101
119	0.140
योग . .	1.234

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—समनापुर माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर के भू-अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है.

रा.मा.प्र.क्र. 24-अ-82-वर्ष 2009-2010 पत्र क्र.-321-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—नरसिंहपुर

(ग) ग्राम—महमदपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.243 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
233/1, 234	0.024
235/1, 3	0.024
231/1	0.081
227/1, 2	0.140
88/1	0.120
87, 88/2	0.065
86/3	0.048
86/1	0.008
59/2, 61/2	0.072
22	0.032
21/2	0.096
21/1	0.036
23	0.081
24,	0.076
14/1,2 16/1	0.048
12, 13	0.048
186	0.028
195	0.138
237/2	0.036
258/1	0.320
220/2	0.016
115	0.012
82/1,2,3,4, 82/5,,6,7	0.010
189	0.072
191/1	0.060
259	0.068
161	0.088
257	0.040
256/1, 2	0.040
254	0.045
252	0.202
253	0.069
योग . .	2.243

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—समनापुर माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर के भू-अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है.

रा.मा.प्र.क्र. 25-अ-82-वर्ष 2009-2010 पत्र क्र.-321-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—नरसिंहपुर

(ग) ग्राम—अगरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.212 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
33, 83, 84, 85	0.120
39	0.020
37/1	0.032
31/3	0.040
योग . .	0.212

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—समनापुर माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर के भू-अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एल. सोलंकी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 19 जुलाई 2010

क्र. 7577-भू-अर्जन-19-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा

(ख) तहसील—खिरकिया

(ग) नगर/ग्राम—सागंवा सरकूलर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.45 एकड़

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (एकड़ में)
(1)	(2)
21	0.60
15/2	0.25
14/2	0.25
109/2	0.80
108/1	0.55
योग . .	2.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—इमलीढाना जलाशय की दांयी मुख्य नहर की टेल माईनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7596-भू-अर्जन-20-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा

(ख) तहसील—खिरकिया

(ग) नगर/ग्राम—सोनपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.86 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
61/1	0.60

(1)	(2)
54/8	0.20
54/6	0.20
55/3	0.45
55/4	0.30
19/3	0.29
14	0.24
61/5	0.20
54/7	0.28
54/1	0.12
55/1	0.60
19/1	0.01
18	0.37
योग . .	3.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— इमलीढ़ाना जलाशय की दांयी मुख्य नहर की टेल माईनर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7575-भू-अर्जन-21-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा

(ख) तहसील—खिरकिया

(ग) नगर/ग्राम—जटपुरामाल

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.86 एकड़.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (एकड़ में)
(1)	(2)
29/1	0.01
30/1	0.30
31	0.55
योग . .	0.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— इमलीढ़ाना जलाशय की दांयी मुख्य नहर की 11 एल. माईनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7592-भू-अर्जन-22-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा

(ख) तहसील—खिरकिया

(ग) नगर/ग्राम—जटपुरा रैयत

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.15 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
55/3, 55/6	0.06
46/2	0.30
37	0.30
34	0.70
33/1	0.43
18/2	0.90
29/2	0.02
30/1	0.27
24/1	0.50
24/2	0.15
23	0.02
22/1	0.26
21	0.33
13	0.30
45/2	0.50
46/1	0.20
38	0.30
33/2	0.48
18/1	0.12
29/1	0.55
25/5	0.01
24/3	0.01

(1)	(2)
24/4	0.33
19/1	0.17
22/2	0.28
20	0.44
17/2	0.07
15/2	0.15
योग . .	8.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—इमलीढ़ाना जलाशय की दांयी मुख्य नहर की टेल माईनर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7590-भू-अर्जन-23-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा

(ख) तहसील—खिरकिया

(ग) नगर/ग्राम—सारसूद

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.10 एकड़

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (एकड़ में)
(1)	(2)
243/3	0.14
243/4	0.28
243/2	0.23
243/1	0.34
251	0.11
योग . .	1.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—इमलीढ़ाना जलाशय की दांयी मुख्य नहर की टेल माईनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7598-भू-अर्जन-24-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा

(ख) तहसील—खिरकिया

(ग) नगर/ग्राम—जटपुरा रैयत

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.90 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
66	0.32
68/3	0.26
68/1	0.16
67/1	0.47
69/2	0.30
78	0.03
76/1	0.45
65	0.45
68/2	0.26
67/2	0.65
79/1	0.04
73/7	0.20
77	0.08
76/3	0.23
योग . .	3.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—इमलीढ़ाना जलाशय की दांयी मुख्य नहर की टेल माईनर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7581-भू-अर्जन-25-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,

इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा

(ख) तहसील—खिरकिया

(ग) नगर/ग्राम—सागंवामाल

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.23 एकड़ .

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
31/1	0.08
31/4	0.15
30/1	0.28
21/6	0.13
8/2	0.09
9/4	0.09
9/3	0.26
16/5	0.30
16/3	0.14
13	0.30
15/2, 15/4	0.15
40/5	0.30
40/6	0.11
40/9	0.20
45/1	0.04
54	0.60
47/2	0.13
50/1	0.20
75	0.10
31/2	0.10
32/3	0.10
30/2	0.46
8/3	0.29
8/1	0.24
9/6	0.11
9/1	0.28
16/4	0.15
10/2	0.03
14/2	0.17
15/3, 15/8	0.12
40/7	0.01
40/8	0.08
40/2	0.20
45/2	0.33
47/1	0.35
50/2	0.23
50/3	0.28
41/5	0.05
योग . .	7.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ईमलीढ़ाना जलाशय की दांयी मुख्य नहर की 6 आर., 7 एल., 8 एल. माईनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7583-भू-अर्जन-26-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा

(ख) तहसील—सिराली

(ग) नगर/ग्राम—कड़ोलाराधौ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.33 एकड़.

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
232/5	0.32
232/4	0.48
233/7	0.60
226/1	0.03
227	0.65
228/1	0.32
182/4	0.28
182/2	0.42
75/2	0.58
75/9	0.30
75/8	0.32
71/5	0.55

(1)	(2)
70/2	0.45
69/1	0.33
59/3	0.52
45	0.50
42	0.53
232/6	0.15, 0.67
232/3	0.04
226/2	0.72
230/2	0.20
228/2	0.32
182/3	0.25
182/7	0.65
75/14	0.23
75/7	0.03
75/12	0.30
75/5	0.10
70/1	0.30
70/3	0.02
58	0.62
46/1	0.75
43/2	0.80
योग . .	13.33

(2) सार्वजनिक प्रयोज़न जिसके लिये आवश्यकता है—ईमलीढ़ाना जलाशय की बॉई मुख्य नहर की 12 आर., 3 एल., माईनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7579-भू-अर्जन-27-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा

(ख) तहसील—सिराली

(ग) नगर/ग्राम—कड़ोलाराघौ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.50 एकड़.

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
235/1	0.80
237/2	0.33
238/5	0.35
214/10	0.45
214/15	0.04
214/24	0.43
237/4	0.72
237/1	0.07
238/4	0.33
214/13	0.72
214/8	1.27
योग . .	5.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—इमलीढ़ाना जलाशय की बांई तट मुख्य नहर की 4 एल., 5 एल., माईनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7600-भू-अर्जन-28-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा

(ख) तहसील—खिरकिया

(ग) नगर/ग्राम—सोनपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.15 एकड़.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (एकड़ में)
(1)	(2)
5/1	0.15
योग . .	0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— इमलीढ़ाना जलाशय की दांयी मुख्य नहर की टेल माईनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7573-भू-अर्जन-29-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा

(ख) तहसील—खिरकिया

(ग) नगर/ग्राम—चौकी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.74 एकड़.

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
29/1	0.10
34/1	0.26
31	0.55
32	0.75
48/4	0.35
49/5	0.20
49/1	0.17
29/2	0.24
34/2	1.13
33/1	0.30
41/1	0.15
49/3	0.20
49/2	0.20
49/4	0.14
योग . .	4.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— ईमलीढ़ाना जलाशय की दांयी मुख्य नहर की टेल माईनर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7585-भू-अर्जन-30-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा

(ख) तहसील—सिराली

(ग) नगर/ग्राम—सोमगांवकलॉ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.30 एकड़.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (एकड़ में)
(1)	(2)
154	0.15
153/1	0.90
153/2	0.40
150/2	0.85
योग . .	2.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— इमलीढ़ाना जलाशय की दांयी मुख्य नहर की टेल माईनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7571-भू-अर्जन-31-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा

(ख) तहसील—खिरकिया

(ग) नगर/ग्राम—महलपुरा दमामी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.28 एकड़.

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
14/12	0.18

(1)	(2)
14/11	0.14
14/6	0.08
14/5	0.09
16/2	0.25
16/1	0.21
17/1	0.40
17/3	0.10
14/7	0.01
14/9	0.14
14/8	0.25
14/3	0.22
17/2	0.18
16/3	0.30
17/5	0.68
2/2	0.05
योग . .	3.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—इमलीढ़ाना जलाशय की दांयी मुख्य नहर की टेल माईनर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7594-भू-अर्जन-32-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा

(ख) तहसील—खिरकिया

(ग) नगर/ग्राम—महलपुरामाल

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.00 एकड़.

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
19/4	0.65
19/3, 19/9	0.10
19/2	0.60
19/7	0.45
5/1	0.20
योग . .	2.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—इमलीढ़ाना जलाशय की दांयी मुख्य नहर की टेल माईनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जॉन किंग्सली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 जुलाई 2010

क्र. 525-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) नगर/शहर—1. रतहरा, 2. रतहरी, 3. गड़रिया, 4. जोरी, 5. डकवार, 6. सिलपरा, 7. सिलपरी.

(घ) क्षेत्रफल लगभग—440524 वर्ग. मी. अथवा 44.052 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
(1) ग्राम—रतहरा	
331	0.015
332	0.045
330	0.200
329	0.020

(1)	(2)
328	0.053
312	0.213
323	0.020
313	0.020
314	0.308
315	0.205
316	0.375
317	0.127
322	0.014
321	0.065
584	0.089
583	0.013
585	0.173
599	0.153
598	0.040
597	0.060
309	0.017
योग . .	2.225

(2) ग्राम—रतहरी

226	0.135
227	0.003
228	0.013
229	0.040
235	0.195
236	0.157
237	0.186
238	0.278
239	0.086
240	0.083
241	0.060
242	0.040
243	0.009
244	0.020
245	0.012
187	0.248
280	0.012
281	0.005
282	0.003
283	0.011
286	0.006
285	0.009
345	0.015
346	0.018
348	0.007
349	0.003
350	0.004
251	0.020
352	0.260
353	0.006
354	0.150
355	0.366
356	0.156
357	0.198
384	0.025
385	0.009
368	0.022
383	0.033
382	0.033
378	0.036
279	0.031
277	0.009
272	0.101
380	0.054
381	0.118
392	0.049
योग . .	3.334

(3) ग्राम—गड़रिया

99	0.129
134	0.437
133	0.182
132	0.395
101	0.486
102	0.066
103	1.200
129	0.063
120	0.139
121	0.029
122	0.223
123	0.107
124	0.017
117	0.290
111	0.036
116	0.720
536	0.048
537	0.109
538	0.155
567	0.139
568	0.691

(1)	(2)
569	0.102
566	0.038
563	0.317
561	0.102
565	0.058
550	0.005
562	0.029
549	0.015
551	0.007
552	0.064
553	0.015
554	0.113
555	0.008
776	0.032
777	0.014
799	0.100
800	0.048
801	0.048
825	0.218
802	0.048
803	0.461
804	0.073
823	0.768
805	0.229
809	0.019
807	0.081
855	0.208
939	0.131
825, 855, 823, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 938, 937, 935, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 980, 994, 1005, 1003, 1002, 1001, 1000, 999, 1004, 816, 930, 939, 969	6.984
योग . .	15.996

(1)	(2)
(4) ग्राम—जोरी	
635	0.040
634	0.460
636	0.117
586	0.040
562	0.006
563	0.172
564	0.035
531	0.130
16	0.108
559	0.004
560	0.029
530	0.220
486	0.058
539	0.048
527	0.530
525	0.155
526	0.315
491	0.019
492	0.278
494	0.015
493	0.058
503	0.563
504	0.250
505	0.024
325	0.105
347	0.128
323	0.485
324	0.367
315	0.133
316	0.013
314	0.002
306	0.004
309	0.485
310	0.015
311	0.015
105	0.374
106	0.144

(1)	(2)
107	0.012
111	0.290
490	0.040
496	0.036
521	0.012
522	0.014
110	0.205
109	0.029
113	0.034
116	0.125
114/1	0.135
117	0.267
118	0.068
119/2	0.119
47	0.667
126	0.339
230	0.080
231	0.130
232	0.004
127	0.377
128	0.019
129	0.025
130	0.373
138	0.292
211	0.093
212	0.382
298	0.050
299	0.125
556, 554	1.054
योग . .	11.340

(5) ग्राम—डकवार

122	0.264
3/2	0.137
45	0.290
46	0.077
109, 110, 111, 66, 46, 45, 30, 29, 28, 25, 24/1, 3/1, 3/2, 5, 4, 6, 112, 27, 28/1, 28/2	2.611
योग . .	3.379

(1)	(2)
(6) ग्राम—सिलपरा	
303/1216	0.085
1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1030, 1031, 1043, 1044, 292, 303/1215, 303/1217, 1028, 292/1219, 1029	2.208
योग . .	2.293
(7) ग्राम—सिलपरी	
37	0.582
48	0.554
38	0.024
459	0.281
460	0.030
440	0.045
435	0.446
436	0.154
437	0.058
429	0.765
426	0.006
427	0.177
428	0.481
469	0.048
467	0.010
523	0.240
39, 44, 42, 43, 40, 49, 467, 469, 466, 465, 462, 463, 461	1.584
योग . .	5.485
कुल योग . .	44.052

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 21 जुलाई 2010

क्र. 7674-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—खिलचीपुर

(ग) ग्राम—गुमानीपुरा, कछोटिया, अम्बावता एवं हालाहेड़ी

(घ) क्षेत्रफल—32.711 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1. ग्राम—गुमानीपुरा कुल रकबा 7.937 हेक्टेयर	
2	0.185
23/4	1.518
23/9	0.685
23/14	0.175
23/17	1.518
23/21	1.897
23/26	0.506
23/32/1	0.441
23/32/2	1.012
योग . .	7.937
2. ग्राम—कछोटिया कुल रकबा 0.173 हेक्टेयर	
932	0.101
934/1	0.036
934/2	0.036
योग . .	0.173
(1)	(2)
3. ग्राम—अम्बावता कुल रकबा 17.026 हेक्टेयर	
632/1/1	1.531
633/1/1	1.691
660/5/2	1.000
660/5/3	1.000
660/5/4	1.000
660/5/5	1.000
660/5/6	0.706
660/5/7	0.801
660/5/8/1	0.500
660/5/8/2	0.500
660/5/9	0.370
660/5/10	0.024
660/5/11	0.210
660/5/12	0.601
660/5/23	0.500
660/5/26	0.500
660/5/27	0.500
660/5/28	0.500
660/5/29	0.500
660/5/30	0.500
660/5/31	0.175
660/5/32	0.210
660/5/33	0.065
660/5/34	0.024
660/5/35	0.130
660/5/36	0.210
660/5/37	0.225
660/8	1.550
634/2/2	0.503
योग . .	17.026
4. ग्राम—हालाहेड़ी कुल रकबा 7.575 हेक्टेयर	
290/1	0.750
292/6	0.090
292/1	2.029
294/3	0.610
294/1/2	0.490
292/8/2/1	0.480
292/8/2/2	0.290
292/8/2/3	0.225
292/8/2/4	0.460
292/8/2/5	0.450

(1)	(2)
292/8/2/6	0.350
292/8/2/7	0.435
292/8/2/8	0.291
292/8/2/9	0.225
292/8/2/10	0.185
292/8/2/11	0.215
योग . .	7.575

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है— पानखेड़ी तालाब के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7676-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (रघुनाथपुरा तालाब निर्माण शीर्ष कार्य) के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—खिलचीपुर

(ग) ग्राम—रूगनाथपुरा, चुवाड़लिया, बघेला.

(घ) क्षेत्रफल—10.248 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
ग्राम—रूगनाथपुरा, क्षेत्रफल 7.918 हेक्टेयर	
1	0.951
6	0.429
85/78	0.245
2	0.745
10	0.135
3	0.049
13	0.505
14	1.012
17	0.040
19	0.024
83/78	0.525
4	0.049
15/2	0.441
21/1	0.040
87/78	0.089
170/78	0.049
38	0.020
15/1	0.220
16	0.202
21/2	0.040
39	0.231
12	0.285
131/78	0.024
163/78	0.065
86/78	0.454
84/78	0.300
164/78	0.320
174/28	0.429
योग . .	7.918
ग्राम—चुवाड़लिया, क्षेत्रफल 1.385 हेक्टेयर	
49/2/2	0.370
49/3/2	0.405
49/3/3	0.610
योग . .	1.385
ग्राम—बघेला, क्षेत्रफल 0.945 हेक्टेयर	
471/285	0.225
295/285	0.720
योग . .	0.945

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—रघुनाथपुर तालाब के शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7678-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (बरगोलिया तालाब निर्माण डूब क्षेत्र की शेष भूमि) के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—खिलचीपुर

(ग) ग्राम—भादाहेड़ी

(घ) क्षेत्रफल—0.500 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
ग्राम—भादाहेड़ी, क्षेत्रफल 0.500 हेक्टेयर	
137/1/2	0.500

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—बरगोलिया तालाब के शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7680-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—जीरापुर

(ग) ग्राम—लक्ष्मीपुरा, सनखेड़ी, मोहली

(घ) क्षेत्रफल—52.864 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1. ग्राम—लक्ष्मीपुरा, कुल रकबा 4.993 हेक्टेयर	
146/1	0.372
146/3	1.344
147/2	0.650
149/1/2	0.316
148/2	0.040
146/2	1.346
146/4	0.350
149/1/1	0.357
150	0.218
योग . .	4.993

(1)	(2)
2. ग्राम—सनखेड़ी, कुल रकबा 21.675 हेक्टेयर	
4/38	1.200
4/42	1.100
4/39	1.190
4/40	1.000
4/32	1.620
4/34	1.920
4/35	2.023
192/3	0.100
4/43	1.100
4/41	1.100
4/36	1.350
3	2.489
2/1	0.560
2/2	0.100
4/37	1.250
4/33	1.300
192/9	1.821
192/12/1	0.250
192/2	0.202
योग . .	21.675
3. ग्राम—मोहली, कुल रकबा 26.196 हेक्टेयर	
1/56	2.023
1/103	0.650
1/55	2.023
1/54	2.023
1/52/1	1.023
1/52/2	1.000
1/53/1	1.023
1/51/1	1.500
1/51/2	0.523
1/75	1.253
1/73	1.362
190/25	0.500
1/97	2.023
190/26	1.000
190/17	2.023
190/52	1.000
190/16	4.047
190/19	1.200
योग . .	26.196

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—विलोड़ा तालाब के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 2 जुलाई 2010

क्र. 565-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010(भाग-ए-बी).— न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में छः दिवसीय "Gram Nyayalayas Act, 2008" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम जो दिनांक 19 जुलाई 2010 से 24 जुलाई 2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 19 जुलाई 2010 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 19 जुलाई 2010 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रेक्स की व्यवस्था की जावेगी. जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.

7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल के व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

8. न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण उपरांत अपनी वापसी की यात्रा का आरक्षण, उन्हें स्वयं ही कराना होगा. इस हेतु प्रशिक्षण संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.

9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

जबलपुर, दिनांक 6 जुलाई 2010

क्र. 579-गोपनीय-2010-दो-2-1-2010(भाग-बी).— न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को जिला न्यायालय भोपाल, अरेरा हिल्स, भोपाल में दो दिवसीय कार्यशाला " Key issues and Challenges regarding offences of dishonour of cheque u/s 138 of Negotiable Instruments Act, 1881", जो दिनांक 24 जुलाई 2010 एवं 25 जुलाई 2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु जिला न्यायालय, भोपाल, अरेरा हिल्स, भोपाल में दिनांक 24 जुलाई 2010 को प्रातःकाल ठीक 10.00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिला न्यायालय, भोपाल, अरेरा हिल्स, भोपाल में दिनांक 24 जुलाई 2010 को प्रात: काल ठीक 10.00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यशाला में अपने साथ Bare Acts of Negotiable Instrutments Act एवं Cr. P. C. की प्रति साथ लावें.

5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासहीनता माना जावेगा.

6. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

Jabalpur, the 7th July 2010

No. C-2950.—(I) In exercise of powers conferred by Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005 Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby designates Smt. Giribala Singh, OSD as State Public Information Officer for the High Court of Madhya Pradesh, Main Seat Jabalpur in place of Shri B. K. Shrivastava, Registrar (J-I).

जबलपुर, दिनांक 8 जुलाई 2010

क्र. 591-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010(भाग-ए-बी).— न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में छ: दिवसीय "Application of Information and Communication Technology to District Judiciary", जो दिनांक 26 जुलाई 2010 से 31 जुलाई 2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 26 जुलाई 2010 को प्रात:काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 26 जुलाई 2010 को प्रात:काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासहीनता माना जावेगा.

6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रेक्स की व्यवस्था की जावेगी. जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रात:काल तक उपलब्ध रहेगी. अत: न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.

7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल के व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रात:काल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

8. न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण उपरांत अपनी वापसी की यात्रा का आरक्षण, उन्हें स्वयं ही कराना होगा. इस हेतु प्रशिक्षण संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.

9. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें. साथ ही ई-कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया ''लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका'' भी साथ लेकर आवें.

10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

जबलपुर, दिनांक 16 जुलाई 2010

क्र. 618-गोपनीय-2010-दो-2-1-2010(भाग-बी).—रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 579/गोपनीय/2010/दो-2-1/2010 (भाग-बी) दिनांक 6 जुलाई 2010 के तारतम्य में सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय, भोपाल, अरेरा हिल्स, भोपाल में दो दिवसीय कार्यशाला " Key issues and Challenges regarding offences of dishonour of cheque u/s 138 of Negotiable Instruments Act, 1881", दिनांक 24 जुलाई 2010 एवं 25 जुलाई 2010 के स्थान पर दिनांक ''21 अगस्त 2010 एवं 22 अगस्त 2010'' को आयोजित की जावेगी. न्यायिक अधिकारियों, जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को जिला न्यायालय, भोपाल, अरेरा हिल्स, भोपाल में परिवर्तित दिनांक 21 अगस्त 2010 को प्रातः काल ठीक 10.00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें पूर्ववत् रहेंगी.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
टी. के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 16 जुलाई 2010

क्र. क्र-३०७२-दो-3-55-06.—श्री भरत पी. माहेश्वरी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति दिनांक 1 मई 2008 से 30 जून 2010 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 12 जुलाई 2010

क्र. B-2823-दो-3-61-2000.—श्री अशोक कुमार शर्मा, अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 28 से 29 अप्रैल 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, दो दिन का कम्पुटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शर्मा, अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्पुटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-2846-दो-2-32-2000.—श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 22 से 25 जून 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र महाजन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-2848-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 22 से 26 जून 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 जून 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 13 जुलाई 2010

क्र. B-2860-दो-3-102-2000.—श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 21 से 28 जून 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 जून 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. डी. राठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-2862-दो-3-53-2001.—श्री एल. एच. थधानी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 14 से 18 जून 2010 तक पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 19 जून 2010 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एल. एच. थधानी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल. एच. थधानी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-2864-दो-2-35-2006.—श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 26 से 28 मई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-2866-दो-2-16-2002.—श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 3 से 7 मई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 एवं 9 मई 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवनारायण द्विवेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-2870-दो-3-53-99.—श्रीमती विमला जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :—

(1) दिनांक 15 से 24 अप्रैल 2010 तक दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 20 से 24 अप्रैल 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

(2) दिनांक 20 अप्रैल 2010 से 22 मई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तैंतीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विमला जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विमला जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B-2872-दो-3-53-99.—श्रीमती विमला जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 7 से 18 जून 2010 तक बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 19 जून 2010 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विमला जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विमला जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B-2874-दो-3-61-2000.—श्री अशोक कुमार शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 14 से 18 मई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्ययाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-2876-दो-2-13-2005.—श्री नवल किशोर गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 30 जून से 7 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री नवल किशोर गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री नवल किशोर गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्ययाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B 2878-दो-2-34-2010.—श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 28 जून से 3 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 जून 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 4 जुलाई 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्ययाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-1973-दो-2-53-2009.—श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

(1) दिनांक 24 से 29 मई 2010 तक छः दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथी ही दिनांक 23 से 30 मई 2010 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) दिनांक 14 से 18 जून 2010 तक पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 19 जून 2010 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 एवं 13 जून 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 20 जून 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरते रहते.

क्र. A-1975-दो-2-12-2002.—श्री एच. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को दिनांक 19 से 21 जून 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. के. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-1980-दो-2-33-2010.—श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 24 जून से 3 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 जुलाई 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-1982-दो-3-117-2009.—श्री एच. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 19 से 23 जून 2010 तक दोंनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-1984-दो-3-65-2002.—श्री ए. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 19 जून 2010 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 जून 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-1986-दो-3-48-2001.—श्री एस. एम. श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर को दिनांक 17 से 23 मई 2010 तक सात दिन का कम्युटेड अवकाश एवं दिनांक 24 मई से 2 जून 2010 तक दस दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एम. श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश एवं ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एम. श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-2941-दो-2-34-2006.—श्री एन. के. पोरवाल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 7 से 18 जून 2010 तक बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 19 जून 2010 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 जून 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 20 जून 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. पोरवाल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. पोरवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 14 जुलाई 2010

क्र. B-2938-दो-3-49-2003.—श्री आर. एच. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 8 से 18 जून 2010 तक ग्यारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 19 से 30 जून 2010 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एच. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

ग्रीमष्मकालीन अवकाश एवं अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एच. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-2948-दो-2-36-2010.—श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 28 जून से 3 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश पूर्व में दिनांक 27 जून 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 4 जुलाई 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-2950-दो-2-19-2008.—श्री एन. के. शुक्ला जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को दिनांक 17 से 23 मई 2010 तक सात दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24 मई 2010 से दिनांक 5 जून 2010 तक 13 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 जून 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. शुक्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 16 जुलाई 2010

क्र. B-3105-दो-2-46-2000.—श्री ओ.पी. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल का निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

(1) दिनांक 1 से 15 जुलाई 2010 तक पन्द्रह दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.

(2) दिनांक 12 से 31 जुलाई 2010 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओ. पी. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-3111-दो-3-420-80-भाग नौ:—श्री एल. एच. थधानी, सेवानिवृत्त (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2010 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 137 दिवस (एक सौ सैंतीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-जी-3-2-96-सी-चार, दिनांक 29 फरवरी 1996, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897-इक्कीस-ब(एक)07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1.	श्री एल. एच. थधानी, सेवानिवृत्त: (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल का नियुक्ति दिनांक		12-9-1979
2.	सेवानिवृत्ति दिनांक	:	31-5-2010
3.	नियुक्ति दिनांक 12-9-1979 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.	:	7 वर्ष 6 माह
4.	दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	:	23 वर्ष 2 माह
5.	कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	7×15=105 दिन

6.	कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	22=11×15=165 दिन. 1 × 7=7 दिन
7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	277 दिन
8.	घटाईये:—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.	:	140 दिन
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	137 दिन

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2010 को शेष अर्जित अवकाश 226 दिन).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897-इक्कीस-ब(एक)07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 19 जुलाई 2010

क्र. C-3169-दो-2-49-2009.—श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 8 से 26 जून 2010 तक उन्नीस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 26 जून 2010 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. C-3172-दो-3-10-2006.—श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण), ग्वालियर को दिनांक 28 जून से 3 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 जून 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 4 जुलाई 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी.एस. परमार जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण), ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. परमार उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश (सर्तकता एवं निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3175-दो-3-48-2001.—श्री एस.एम. श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

(1) दिनांक 26 से 28 अप्रैल 2010 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) दिनांक 29 से 30 अप्रैल 2010 तक दो दिन का अर्द्धवेतन अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(3) दिनांक 1 से 4 मई 2010 तक चार दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस.एम. श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित एवं कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था तथा अर्द्धवेतन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन नियमानुसार देय होगा.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एम. श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3178-दो-3-61-2000.—श्री अशोक कुमार शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 21 से 24 जून 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 20 जुलाई 2010

क्र. E-2504-दो-2-38-2005.—श्री ए. के. चतुर्वेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 23 से 26 जून 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश पश्चात् में दिनांक 27 जून 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए.के. चतुर्वेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. चतुर्वेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3182-दो-3-99-2000.—सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 10 से 19 मई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-3185-दो-2-49-2009.—श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 13 से 15 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3187-दो-2-27-2005.—श्री सुशील कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 25 से 30 जून 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3191-दो-2-35-2006.—श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 23 से 26 जून 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश पश्चात् में दिनांक 27 जून 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 6 जुलाई 2010

क्र. 575-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-ए).—रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक 464-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-ए), जबलपुर दिनांक 24 मई, 2010 के तारतम्य में श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, विदिशा को, वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी वेतनमान रुपये 14,200—350-15,950—400—18,350/- में पदोन्नति दिनांक 5-2-2009 से प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 7 जुलाई 2010

क्र. 581-गोपनीय-2010-दो-2-1-2010 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री अशोक कुमार शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को उनके कार्य के अतिरिक्त, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर के प्रधान न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर के नियमित पदधारी के अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

जबलपुर, दिनांक 14 जुलाई 2010

क्र. 602-गोपनीय-2010-दो-2-1-2010 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा.	पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 604-गोपनीय-2010-दो-3-250-57(भाग-29).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा 3(बी)1-2009-इक्कीस-ब(एक), (मेरिट क्रमांक), दिनांक 2 जुलाई 2010 एवं 07-08 जुलाई 2010 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) में नियुक्त किया गया है,उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुश्री ऋतु चौहान	विदिशा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, विदिशा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2	सुश्री शिवानी धतरा	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
3	सुश्री अर्चना रघुवंशी	भोपाल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भोपाल के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
4	सुश्री नेहा श्रीवास्तव	छतरपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, छतरपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
5	श्री यशपाल सिंह	बालाघाट	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बालाघाट के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

(1)	(2)	(3)	(4)
6	श्री मुकेश सिंह चौहान	जबलपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, जबलपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
7	सुश्री नाताशा शेख पटेल	इन्दौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, इन्दौर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
8	श्री आशीष श्रीवास्तव	सीहोर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सीहोर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
9	श्री ऋषिराज त्रिवेदी	मण्डलेश्वर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मण्डलेश्वर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
10	श्री संतोष कुमार तिवारी	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, उज्जैन के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
11	श्री वीरेन्द्र जोशी	रतलाम	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, रतलाम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
12	सुश्री प्राची शर्मा	शिवपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, शिवपुरी के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
13	श्री सचिन ज्योतिषी	सिवनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सिवनी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
14	श्री ओमपाल सिंह	भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भिण्ड के न्यायालय़ के पंचम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
15	श्री मधुसूदन जंघेल	उमरिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, उमरिया के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
16	श्री राकेश कुमार शर्मा	देवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, देवास के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
17	श्री दीपक कुमार अग्रवाल	शहडोल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, शहडोल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
18	श्री वीरेन्द्र वर्मा	बैतूल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बैतूल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
19	सुश्री नीलिमा गुजरकर	सतना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सतना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
20	श्री फिरोज अख्तर	रायसेन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, रायसेन के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

(1)	(2)	(3)	(4)
21	श्री विकास कुमार शर्मा	रीवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
22	सुश्री स्वाति चौकसे	छतरपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, छतरपुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
23	श्री अश्विन परमार	बड़वानी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बड़वानी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
24	श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय	खण्डवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, खण्डवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
25	श्री शशांक सिंह	टीकमगढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, टीकमगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
26	श्री मुनेन्द्र सिंह वर्मा	श्योपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, श्योपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
27	श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी	बुरहानपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बुरहानपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
28	श्री लवकेश सिंह	कटनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, कटनी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
29	श्री दिलीप सिंह परमार	नीमच	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, नीमच के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
30	श्री रामप्रसाद सिंह	सीधी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सीधी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
31	श्री दीनानाथ बाड़ीवा	दमोह	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, दमोह के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
32	सुश्री मंजुषा इडपाचे	मण्डला	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मण्डला के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
33	श्री अतुल बिल्लोरे	धार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
34	सुश्री सविता मरावी	सागर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सागर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
टी. के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल.